**भारत सरकार**

**जल शक्ति मंत्रालय**

**जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग**

***

**माननीय रतन लाल कटारिया, जल शक्ति राज्य मंत्री द्वारा लोक सभा में दिनांक 22 सितम्बर, 2020 को, जल संसाधन संबंधी संसदीय स्थायी समिति की पहली रिपोर्ट 2019-20 और तीसरी रिपोर्ट 2020-21 में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के विषय में दिया जाने वाला विवरण.**

---

मैं, माननीय अध्यक्ष लोकसभा द्वारा दिनांक 01 सितम्बर, 2004 के लोक सभा बुलेटिन द्वारा जारी निदेश 73 क के अनुसरण में, जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति की पहली और तीसरी रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के विषय में यह विवरण दे रहा हूं।

जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति (सत्रहवीं लोक सभा) की पहली रिपोर्ट लोक सभा में 05 दिसंबर, 2019 को प्रस्तुत की गई थी। यह रिपोर्ट जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की वर्ष 2019-20 के लिए अनुदान मांगों की जांच से संबंधित है।

स्थायी समिति की पहली रिपोर्ट में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई की टिप्पणियां समिति को 16 मार्च 2020 को भेजी गई थीं। रिपोर्ट में सिफारिशों के 14 पैराग्राफ थे, जिनमें समिति द्वारा की गई सिफारिशें/टिप्पणियां शामिल थीं, जिन पर सरकार की ओर से कार्रवाई करने को कहा गया था। ये सिफारिशें/टिप्पणियां मुख्य रूप से 2019-20 के लिए धन का आबंटन, बजटीय आबंटन का कम उपयोग, देश के अन्य चिरकालिक सूखा प्रवण क्षेत्रों को विशेष पैकेज, केन्द्र और राज्यों के बीच विधीय शक्ति का विभाजन, नदी बेसिन प्रबंधन, बांध पुनर्वास और सुधार कार्यक्रम (डी.आर.आई.पी.), बांध सुरक्षा, नमामि गंगे कार्यक्रम, नदियों को परस्पर जोड़ना, भूजल प्रबंधन और विनियमन, जलभृत मानचित्रण (एक्वीफर मैपिंग), जल उपयोग कुशलता में सुधार की आवश्यकता, विशेष दल की सिफारिशों का कार्यान्वयन, राष्ट्रीय परियोजनाएं आदि से संबंधित हैं।

जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति (सत्रहवीं लोक सभा) की तीसरी रिपोर्ट लोक सभा में 05 मार्च, 2020 को प्रस्तुत की गई थी। यह रिपोर्ट जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की वर्ष 2020-21 के लिए अनुदान मांगों की जांच से संबंधित है।

स्थायी समिति की तीसरी रिपोर्ट में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई की टिप्पणियां समिति को 16 जून, 2020 को भेजी गई थीं। रिपोर्ट में सिफारिशों के 14 पैराग्राफ थे, जिनमें समिति द्वारा की गई सिफारिशें/टिप्पणियां शामिल थीं, जिन पर सरकार की ओर से कार्रवाई करने को कहा गया था। ये सिफारिशें/टिप्पणियां मुख्य रूप से अनुदान मांगों का विश्लेषण, कम बजटीय आवंटन, प्रति व्यक्ति जल की कम उपलब्धता, राष्ट्रीय जल फ्रेमवर्क कानून, नमामि गंगे, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना-अन्य बेसिन, केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी)- मिहिर शाह समिति रिपोर्ट का शीघ्र कार्यान्वयन, केन्द्रीय भूजल बोर्ड, जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास, राष्ट्रीय जल मिशन (एन डब्ल्यू एम), त्वरित सिंचाई लाभ

कार्यक्रम, बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफ एम बी ए पी), फरक्का बराज परियोजना (एफ बी पी) आदि से संबंधित हैं।

समिति द्वारा पहली और तीसरी रिपोर्ट में की गई विभिन्न सिफारिशों पर कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति मेरे विवरण के अनुलग्नक-I और अनुलग्नक-II में क्रमशः दर्शाई गई है, जो सभा पटल पर रख दिया गया है। मैं, **इस अनुलग्नक** की पूर्ण विषय-वस्तु को पढ़ने में सदन का बहुमूल्य समय नहीं लेना चाहूंगा। मेरा आग्रह है कि इसे पढ़ दिया गया मान लिया जाए।

.....

**लोक सभा**
**के पटल पर रखे**
**जाने वाले कागजात**

अधिप्रमाणित

(रतन लाल कटारिया)

**जल शक्ति राज्य मंत्री**
रतन लाल कटारिया / Rattan Lal Kataria
जल शक्ति एवं सामाजिक न्याय
और अधिकारिता राज्यमंत्री
Minister of State for Jal Shakti
& Social Justice and Empowerment
भारत सरकार / Govt. of India
श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली–01
Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi-01

**भारत सरकार**

**जल शक्ति मंत्रालय**

**जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग**

***

**माननीय रतन लाल कटारिया, जल शक्ति राज्य मंत्री द्वारा राज्य सभा में दिनांक 19 सितम्बर, 2020 को, जल संसाधन संबंधी संसदीय स्थायी समिति की पहली रिपोर्ट 2019-20 और तीसरी रिपोर्ट 2020-21 में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के विषय में दिया जाने वाला विवरण.**

---

मैं, माननीय अध्यक्ष राज्य सभा द्वारा दिनांक 28 सितम्बर, 2004 के राज्य सभा बुलेटिन भाग-II द्वारा राज्य सभा में कार्यविधि और आचरण की नियमावली के नियम 266 के अंतर्गत जारी माननीय अध्यक्ष, राज्य सभा के निदेशों के अनुसरण में, जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति की पहली और तीसरी रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के विषय में यह विवरण दे रहा हूं ।

जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति (सत्रहवीं लोक सभा) की पहली रिपोर्ट राज्य सभा में 05 दिसंबर, 2019 को प्रस्तुत की गई थी। यह रिपोर्ट जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की वर्ष 2019-20 के लिए अनुदान मांगों की जांच से संबंधित है।

स्थायी समिति की, पहली रिपोर्ट में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई की टिप्पणियां समिति को 16 मार्च 2020 को भेजी गई थीं। रिपोर्ट में सिफारिशों के 14 पैराग्राफ थे, जिनमें समिति द्वारा की गई सिफारिशें/टिप्पणियां शामिल थीं, जिन पर सरकार की ओर से कार्रवाई करने को कहा गया था। ये सिफारिशें/टिप्पणियां मुख्य रूप से 2019-20 के लिए धन का आबंटन, बजटीय आबंटन का कम उपयोग, देश के अन्य चिरकालिक सूखा प्रवण क्षेत्रों को विशेष पैकेज, केन्द्र और राज्यों के बीच विधीय शक्ति का विभाजन, नदी बेसिन प्रबंधन, बांध पुनर्वास और सुधार कार्यक्रम (डी.आर.आई.पी.), बांध सुरक्षा, नमामि गंगे कार्यक्रम, नदियों को परस्पर जोड़ना, भूजल प्रबंधन और विनियमन, जलभृत मानचित्रण (एक्वीफर मैपिंग), जल उपयोग कुशलता में सुधार की आवश्यकता, विशेष दल की सिफारिशों का कार्यान्वयन, राष्ट्रीय परियोजनाएं आदि से संबंधित हैं।

जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति (सत्रहवीं लोक सभा) की तीसरी रिपोर्ट राज्य सभा में 05 मार्च, 2020 को प्रस्तुत की गई थी। यह रिपोर्ट जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की वर्ष 2020-21 के लिए अनुदान मांगों की जांच से संबंधित है।

स्थायी समिति की, तीसरी रिपोर्ट में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई की टिप्पणियां समिति को 16 जून, 2020 को भेजी गई थीं। रिपोर्ट में सिफारिशों के 14 पैराग्राफ थे, जिनमें समिति द्वारा की गई सिफारिशें/टिप्पणियां शामिल थीं, जिन पर सरकार की ओर से कार्रवाई करने को कहा गया था। ये सिफारिशें/टिप्पणियां मुख्य रूप से अनुदान मांगों का विश्लेषण, कम बजटीय आवंटन, प्रति व्यक्ति जल की कम उपलब्धता, राष्ट्रीय जल फ्रेमवर्क कानून, नमामि गंगे, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना-अन्य बेसिन, केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी)- मिहिर शाह समिति रिपोर्ट का शीघ्र कार्यान्वयन, केन्द्रीय भूजल बोर्ड, जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास, राष्ट्रीय जल मिशन (एन डब्ल्यू एम), त्वरित सिंचाई लाभ

कार्यक्रम, बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफ एम बी ए पी), फरक्का बराज परियोजना (एफ बी पी) आदि से संबंधित हैं।

समिति द्वारा पहली और तीसरी रिपोर्ट में की गई विभिन्न सिफारिशों पर कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति मेरे विवरण के अनुलग्नक-I और अनुलग्नक-II में क्रमश: दर्शाई गई है, जो सभा पटल पर रख दिया गया है। मैं, **इस अनुलग्नक** की पूर्ण विषय-वस्तु को पढ़ने में सदन का बहुमूल्य समय नहीं लेना चाहूंगा। मेरा आग्रह है कि इसे पढ़ दिया गया मान लिया जाए।

.....

**राज्य सभा**
**के पटल पर रखे**
**जाने वाले कागजात**

अधिप्रमाणित

(रतन लाल कटारिया)
**जल शक्ति राज्य मंत्री**

रतन लाल कटारिया / Rattan Lal Kataria
जल शक्ति एवं सामाजिक न्याय
और अधिकारिता राज्यमंत्री
Minister of State for Jal Shakti
& Social Justice and Empowerment
भारत सरकार / Govt. of India
श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली–01
Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi-01

# भारत सरकार

# जल शक्ति मंत्रालय

# जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

## लोक सभा में मांग अनुदान (2019-20) और मांग अनुदान (2020-21) के संबंध में

## जल संसाधन संबंधी

## संसदीय स्थायी समिति की पहली और तीसरी रिपोर्ट में उल्लिखित

## सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वन की स्थिति के विषय में दिया जाने वाला विवरण

22.09.2020

# भारत सरकार

# जल शक्ति मंत्रालय

# जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

# राज्य सभा में मांग अनुदान (2019-20) और मांग अनुदान (2020-21) के संबंध में

# जल संसाधन संबंधी

# संसदीय स्थायी समिति की पहली और तीसरी रिपोर्ट में उल्लिखित

# सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वन की स्थिति के विषय में दिया जाने वाला विवरण

19.09.2020

**अनुलग्नक-I**

**भारत सरकार**

**जल शक्ति मंत्रालय**

**जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग**

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की स्थायी समिति (17वीं लोक सभा) द्वारा उनकी पहली रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण

*******

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>सिफारिशें</th><th>पैरा सं.</th><th>कार्यान्वयन की स्थिति</th></tr>
<tr><td>(1)</td><td>(2)</td><td>(3)</td><td>(4)</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>समिति पाती है कि जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के लिए वित्त वर्ष 2019-20 का कुल बजटीय आबंटन 8245.25 करोड़ रूपे है जिसमें 7853.78 करोड़ रूपए 'राजस्व अनुभाग' के तहत और 391.47 करोड़ रूपए 'पूंजी अनुभाग' के तहत आबंटित किए गए हैं। वित्त पर्ष 2019-20 के लिए विभाग का कुल बजटीय प्रावधान 8245.25 करोड़ रूपए का है जो पिछले वित्त वर्ष के कुल बजटीय प्रावधान से लगभग 614.75 करोड़ रूपे कम है जिसका कारण राज्यों द्वारा धीमी गति से व्यय के कारण नेशनल गंगा प्लान (एन.जी.पी.) के तहत आबंटन में कटौती और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एन.एम.सी.जी) में शेष अव्ययित रह गया है। समिति यह भी नोट करती है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से उधार के रूप में 8217.79 करोड़ रूपए के अतिरिक्त बजटीय संसाधन (ई.बी.आर.) का अतिरिक्त प्रावधान है जो विभाग के बजटीय प्रावधान के करीब-करीब बराबर है। हालांकि 31.10.2019 तक वित्त मंत्रालय द्वारा 4882 करोड़ रूपए के ई.बी.आर. का अनुमोदन कर दिया गया है, फिर भी विभाग तक कोई पैसा नहीं उठाया</td><td>1</td><td>वित्त वर्ष 2019-20 में अनुमोदित और बढाए गए, अनुमानित अतिरिक्त बजट संसाधनों का विवरण नीचे दिया गया है।<br>करोड़ रु. में
<table>
<tr><th>घटक</th><th>वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुमोदित ईबीआर</th><th>वित्तीय वर्ष 2019-20 में बढ़ाया गया ईबीआर</th></tr>
<tr><td>त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम</td><td>3200.00</td><td>1738.77</td></tr>
<tr><td>राजस्थान फीडर सरहिन्द फीडर</td><td>196.00</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>पोलावरम सिंचाई परियोजना</td><td>1850.00</td><td>1850.00</td></tr>
<tr><td>शाहपुर काण्डी</td><td>150.00</td><td>60.00</td></tr>
<tr><td>हर खेत को पानी (एचकेकेपी)- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के</td><td>1000.00</td><td>164.00</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

| क्र.सं. | सिफारिशें | पैरा सं. | कार्यान्वयन की स्थिति |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |

**है। समिति यह नोट कर खेद प्रकट करती है कि नाबार्ड से लिए जाने वाले ऋण में वृद्धि से मूलधान के साथ-साथ उसके ब्याज की अदायगी के रूप में सरकार की प्रतिबद्ध देयता में इजाफा होगा और इस तरह, इससे कालांतर में सरकार की योजनाओं/कार्यक्रमों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अतः समिति इस बात की पुरजोर सिफारिश करती है कि जल संसाधन के क्षेत्र में, विशेषकर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए अतिरिक्त धन की पूर्ति के लिए ईबीआर पर निर्भरता से बचा जाए। जल संसाधनों का अंतर्वेशी संरक्षण, प्रबंधन और विकास जिसमें जल निकास, बाढ़-नियंत्रण, जल भराव, समुद्र अपरदन, बांध सुरक्षा आदि समेत सतही व भू-जल का सम्मिलित उपयोग, गंगा नदी का संरक्षण, बाढ़ प्रबंधन और विकास अंतर्विष्ट है, तभी संभव होगा जब जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के ऋण और/या ब्याज की पुनःअदायगी की बढ़ती विशाल देयता के बगैर पर्याप्त धन आबंटित किए जाए।**

| | | |
|---|---|---|
| तहत कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन घटक (सीएडीडब्ल्यूएम) | | |
| उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना | 336.00 | 0.53 |
| **कुल** | **6732.00** | **3813.00** |

2016-17 के दौरान पीएमकेएसवाई के अंतर्गत 99 चालू एआईबीपी परियोजनाओं को उनके सीएडीडब्ल्यूएम कार्यों के साथ प्राथमिकृत किया गया था। इन परियोजनाओं के लिए, केंद्रीय सहायता और राज्य अंश दोनों के लिए निधियों की आवश्यकता दीर्घ अवधि सिंचाई निधि के तहत नाबार्ड के माध्यम से किया गया था। संबंधित 18 राज्यों में से, 12 राज्यों ने नाबार्ड से राज्य अंश लेने के लिए समझौता ज्ञापना पर हस्ताक्षर किए और 9 राज्यों ने 2016-17 से 2019-20 तक राज्य अंश लिया।

पहले विभिन्न वृहत एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं को पूरा करना/त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल विस्तार नवीकरण और आधुनिकीकरण परियोजनाएं बजट आबंटनों की सीमा उसके फलस्वरूप केंद्र एवं राज्य अंश की अनउपलब्धता/मिसमैच के कारण लंबित हुआ। एलटीआईएफ के तहत नाबार्ड से केंद्रीय सहायता और राज्य अंश की एक साथ उपलब्धता से परियोजनाओं की प्रगति में तेजी आई है। 44 प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाओं के एआईबीपी कार्य राज्य सरकारों द्वारा पूरे कर लिए हैं और 21.33 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित की है। 2016-17 से पीएमकेएसवाई -एआईबीपी के अंतर्गत पहले के

| क्र.सं. | सिफारिशें | पैरा सं. | कार्यान्वयन की स्थिति |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | | | प्रतिवर्ष 7 परियोजनाओं के मुकाबले, 11परियोजनाओं का वार्षिक एआईबीपी कार्य पूरा किया जा चुका है। इसी प्रकार पहले की 4.5 लाख हेक्टेयर वार्षिक दर के विपरीत सिंचाई क्षमता सृजित करने की वार्षिक दर अब 5.3 लाख हेक्टेयर है।<br><br>साथ ही भारत में मॉनसून अवदि के कारण पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के अंतर्गत निधियों की आवश्यकता सितंबर-मार्च के बीच होती है। तथापि, पहले 6 महीनों के दौरान व्यय के आधार पर अपनाई गई पद्धति के अनुसार संशोधित अनुमान स्तर पर कमी की जाती है। इससे उस अवस्था में निधियों की उपलब्धता प्रभावित होती है, जब आवश्यकता अधिक होती है। एलटीआईएफ के अंतर्गत कार्यों की गति के आधार पर जब भी आवश्यकता हो, पूरे वर्ष निधियां उपलब्ध रहती हैं और निधियों की अनउपलब्धता के कारण बाधित नहीं होती।<br><br>2016-17 से एलटीआईएफ से 46797.41 करोड़ रूपए की समग्र राशि (राज्यांश सहित) ली गई है। 2016-20 के दौरान ऋण सेवा की ओर 4812.78 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। इस अवधि के दौरान विभाग को संपूर्ण बजट आबंटन 30193.46 करोड़ रुपए हैं। इसके अतिरिक्त पूरे बजट को सिर्फ इन्हीं परियोजनाओं के लिए डायवर्ट करना संभव नहीं था। इसलिए एलटीआईएफ वित्त पोषण तंत्र के माध्यम से न केवल समय से अपितु बड़ा वित्त पोषण किया गया है।<br><br>विभाग की अन्य स्कीमों के संबंध में ऋण सेवा के प्रभाव का जहां तक सवाल है, इस व्यवस्था को अन्य स्कीमों के लिए बजट उपलब्धता में कमी करने वाली नहीं माना जा सकता है। वास्तव में, वित्त पोषण अवधि के दौरान, नाबार्ड से लिए गए ऋण के कारण प्रभावी बजट में |

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>सिफारिशें</th><th>पैरा सं.</th><th>कार्यान्वयन की स्थिति</th></tr>
<tr><td>(1)</td><td>(2)</td><td>(3)</td><td>(4)</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>बढ़ोत्तरी होगी तथा जिससे एलटीआईएफ द्वारा वित्त पोषित घटकों के लिए बजटीय आबंटन करने की अपेक्षा नहीं रह जाएगी।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>समिति पाती है कि विभाग वर्ष-दर-वर्, आबंटित किए गए बजटीय प्रावधानों का उपयोग करने में नाकाम रहा है। दरअसल वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान 6201.21 करोड़ रूपए (बजटीय प्राक्कलन) में से 4714.13 करोड़ रूपए की धनराशि अर्थात 76 फीसदी धनराशि ही खर्च की गई। इसी तरह, वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान 6887.00 करोड़ रूपए (बजटीय प्राक्कलन) आबंटित किए गए जिनमें से विभाग केवल 5313.48 करोड़ रूपए अर्थातृ 77 फीसदी धनराशि का ही उपयोग कर सका। वर्ष 2018-19 के दौरान 8860.00 करोड़ रूपए (बजटीय प्राक्कलन) में विभाग द्वारा 7422.08 करोड़ रूपए अर्थात 84 फीसदी धनरासि का ही उपयोग किया गया। इस तरह, बजटीय आबंटन के निरंतर कम उपयोग का मामला विभाग में बारंबार होता रहा है। दूसरी ओर समिति यह पाती है कि नाबार्ड से लिए जाने वाले ऋण में बेहताशा वृद्धि हुई है।<br><br>समिति पाती है कि विभाग ने विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत धन के कम उपयोग के भिन्न-भिन्न कारणों को स्पष्ट रूप से बताया है जिनमें अन्य बातों के अलावा और जो शामिल हैं वे निम्नवत-हैं-<br><br>I. बांध पुनर्वास और सुधार कार्यक्रम (डी.आर.आई.पी.)<br><br>(i) बोली लगाने वालों की खराब प्रतिक्रिया की वजह से हाइड्रो-</td><td>2</td><td>वर्ष 2016-17 से 2019-20 के दौरान बजट अनुमानों और संशोधित अनुमान स्तर आबंटनों और व्यय का ब्यौरा नीचे तालिका में दिया गया है।<br><br>करोड़ रु.
<table>
<tr><th>वित्तीय वर्ष</th><th>अनुमानित बजट (बीई)</th><th>संशोधित अनुमान (आरई)</th><th>व्यय</th><th>बीई के % के रूप में व्यय</th><th>आरई के % के रूप में व्यय</th></tr>
<tr><td>2016-17</td><td>6201.21</td><td>4755.5</td><td>4714.13</td><td>76%</td><td>99%</td></tr>
<tr><td>2017-18</td><td>6887</td><td>7660</td><td>5313.48</td><td>77%</td><td>69%</td></tr>
<tr><td>2018-19</td><td>8860</td><td>7612.52</td><td>7422.08</td><td>84%</td><td>97%</td></tr>
<tr><td>2019-20</td><td>8245.25</td><td>7518.21</td><td>7416.28</td><td>90%</td><td>99%</td></tr>
</table>
<br>विभाग, वित्तीय वर्ष 2017-18 को छोड़कर, जब नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन निधियां जारी न के जाने के कारण 1600 करोड़ रूपए के बचतें हुई, संशोधित अनुमान स्तर पर उपलब्ध कराई गई निधियों</td></tr>
</table>

| क्र.सं. | सिफारिशें | पैरा सं. | कार्यान्वयन की स्थिति |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | **मेकैनिकल ऑफ पंचेट का टेंडर न दिया जाना।**<br><br>**(ii) सिविल कॉन्ट्रैक्टर द्वारा परियोजना की विलंब से शुरूआत।**<br><br>**(iii) कोनार के बांधों में मसाला संबंधी कार्यों की सामग्री और संविदा से जुड़े अन्य मामलों को अंतिम रूप न दिया जाना।**<br><br>**II. नदी बेसिन प्रबंधन (आर.बी.एम.)**<br><br>**(i) पत्थर की खदानों के विस्फोट पर प्रतिबंध की वजह से पत्थरों के कार्य स्थलों पर संग्रहण और वहां तक परिवहन में कठिनाइयां।**<br><br>**(ii) स्थानीय संगठनों/निवासियों द्वारा विघ्न डाला जाना/रोका जाना।**<br><br>**(iii) बेमौसम बारिश और नदी में बाढ़ का उच्च जल स्तर।**<br><br>**(iv) वन संबंधी मंजूरी न मिलना।**<br><br>**(v) नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी कार्यक्रम पर विभिन्न राज्यों के बीच आम सहमति का अभाव।**<br><br>**III. जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास (डी.डब्ल्यू.आर.आई.एस.)**<br><br>**(i) एच.ओ. साइट के लिए मैन पावर सेवाओं की आउटसोर्सिंग हेतु टेंडरों को अंतिम रूप न दिया जाना।**<br><br>**(ii) पूर्णकालिक मिशन डायरेक्टर के न होने के वजह से मुख्य** | | का निरंतर उपयोग करने में समर्थ रहा है। निधियां जारी नहीं की जा सकीं क्योंकि एनएमसीजी के पास तटीय राज्यों/एजेंसियों से कम मांग के कारण व्यय न किया गया बड़ा शेष उपलब्ध था। इसके अतिरिक्त, राज्यों द्वारा ऋण/मांग कम निकालने के कारण नाबार्ड ऋण की कर्ज सेवा के अंतर्गत कम मांग के कारण 533 करोड़ रूपए की बचतें हुईं। एलटीआईएफ के तहत मांगों से सीधा जुड़ा है और पिछले वर्षों में इसमें तेजी आयी है। जैसा कि पहले बताया गया है, इसके परिणामस्वरूप सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने में तेजी आई है (पहले सात परियोजना प्रतिवर्ष की औसत की तुलना में **11** परियोजना) और सिंचाई क्षमता के सृजन की दर में वृद्धि हुई है (पहले 4.5 लाख हेक्टेयर प्रतिवर्ष की तुलना में **5.3** लाख हेक्टेयर)।<br><br>समिति की सिफारिश नोट कर ली गई है और इस विभाग ने पहचान की गई स्कीमों के अंतर्गत उपयोग में सुधार के लिए नीचे लिखे अनुसार सुधारात्मक उपाय किए हैं।<br><br>i. दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) द्वारा इष्टतम उपयोग की कमी को उचित कार्रवाई के लिए सचिव स्तर पर बिजली मंत्रालय के साथ लिया गया था लेकिन डीवीसी योजनाबद्ध वित्तीय लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाया है। हालाँकि, मूल डीआरआईपी (DRIP) योजना को 29 जून, 2020 को बंद कर दिया गया है; इसलिए डीवीसी की सभी डीआरआईपी गतिविधियों को उसी के अनुसार बंद कर दिया गया है। इसके अलावा, चल रहे Covid-19 |

| क्र.सं. | सिफारिशें | पैरा सं. | कार्यान्वयन की स्थिति |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | **रूप से नेशनल वाटर मिशन स्कीम में धन का कम उपयोग।**<br><br>**(iii) नेशनल वाटर मिशन स्कीम के तहत अपेक्षित कार्यकलापों को करने के लिए मैन पावर का अभाव।**<br><br>**विभाग की ओर से यथाप्रस्तुत उन समस्याओं को नोट करते हुए जो विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत धन के कम उपयोग के लिए उत्तरदायी हैं, समिति का यह मानना है कि विभाग में संसाधनों के इष्टतम उपयोग के अभाव का मामला निरंतर बना रहा है। अतः समिति यह सिफारिश करती है कि विभाग को चाहिए की वे उक्त वर्णित उन अड़चनों को दूर करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएं जिनसे शीघ्र कार्यान्वयन में अड़ंगा लगा है और परिणामतः उपलब्ध संसादनों का कम उपयोग हुआ है।** | | महामारी के कारण, DVC योजनाबद्ध वित्तीय लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया है। 30 जून, 2020 से आगे की शेष पुनर्वास गतिविधियों को डीवीसी द्वारा अपने स्वयं के बजट से पूरा किया जाएगा ताकि योजना के उद्देश्यों को सुनिश्चित किया जा सके ।<br><br>ii. नदी बेसिन पर बंधन स्कीम के अंतर्गत जांच कार्य मुख्यतः पूर्वोत्तर और जम्मू तथा कश्मीर क्षेत्र में हैं। कार्य स्थलों की दूरस्थ स्थिति और लंबी मॉनसून के कारण उपलब्ध सीमित वर्किंग मौसम के मुद्दों के अलावा, ये कार्य स्थानीय रुकावटों से भी प्रभावित होते हैं. विभाग का इरादा जागरूकता पैदा करने के कार्यक्रम विकसित करना और प्रभावित क्षेत्रों में निष्पादन एजेंसियों तथा जनता के साथ बेहतर वार्ता का है।<br><br>iii. जल संसाधन सूचना प्रणाली स्कीम के विकास के अंतर्गत हाइड्रोलॉजिकल ऑब्जरवेशन स्थलों के लिए कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग हेतु निविदाओं को अंतिम रूप देने के लिए आवश्यक कार्य किए गए हैं। एचओ स्थलों के लिए कर्मचारियों के आउटसोर्सिंग हेतु निविदाएं सीडब्ल्यूसी द्वारा प्रदान की गई हैं।<br><br>विभाग अपने पास उपलब्ध बजटीय अनुदानों के अधिकतम उपयोग के लिए प्रतिबद्ध है। |
| 3. | **समिति नोट करती है कि जुलाई, 2018 में भारत सरकार ने महाराष्ट्र में विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्र के आत्महत्या-प्रवण जिलों में 83 सरफेस माइनर इरिगेशन (एस.एम.आई.) प्रोजेक्टों व 8 मेजर।** | 3 | इस समय, विशेष पैकेज का क्षेत्र विदर्भ, मराठवाड़ा और महाराष्ट्र के शेष चिरकालिक सूखा प्रवण क्षेत्रों में 83 सतह लघु सिंचाई (एसएमआई) और 8 वृहत/मध्यम सिंचाई (एमएमआई) परियोजनाओं को पूरा करने तक |

| क्र.सं. | सिफारिशें | पैरा सं. | कार्यान्वयन की स्थिति |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | **मिडियम इरिगेशन प्रोजेक्टों को पूरा करने के लिए 3831.41 करोड़ रूपए की केन्द्रीय सहायता मुहैया कराने के एक विशेष पैकेज का अनुमोदन किया था जबकि वहां उन परियोजनों को पूरा करने के लिए 1.4.2018 तक 13651.61 करोड़ रूपए की कुल शेष लागत की आवश्यकता थी।**<br><br>**समिति विदर्भ व मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के अन्य चिरकालिक सूखा प्रवण क्षेत्रों में कृषि-संबंधी व्यथा को दूर करने के लिए निहायत जरूरी राहत पहुंचाने में सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए समिति यह भी चाहती है कि विभाग देश में इन्हीं तरह की चुनौतियों से जूझ रहे अन्य क्षेत्रों में भी इस पैकेज की पहुंच का विस्तार करने की संभावनाओं की तलाश करें।** | | सीमित है जैसाकि मंत्रिमंडल ने दिनांक 18.07.2018 को अनुमोदित किया था। यह स्कीम उक्त क्षेत्रों के विशिष्ट स्थिति को ध्यान में रखकर शुरू की गई थी और इसमें पैकेज में शामिल परियोजनाओं के लिए 25 प्रतिशत की केन्द्रीय सहायता (सीए) की परिकल्पना है।<br><br>तथापि, अन्य राज्यों में परियोजनाओं के निधियन के लिए स्कीम पहले ही चल रही है। प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत, 18 विभिन्न राज्यों की 99 वृहत/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए प्राथमिकीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न राज्यों को एसएमआई और जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरूद्धार की स्कीमें पीएमकेएसवाई - हर खेत को पानी (एचकेकेपी) घटक के तहत निधि प्रदान की जा रही है।<br><br>शाहपुर कांडी बांध (राष्ट्रीय) परियोजना और सरहिंद फीडर की रिलाइनिंग राजस्थान फीडर (पंजाब और राजस्थान को लाभ देने वाली) भी एलटीआईएफ के माध्यम से केन्द्रीय निधियन हेतु अलग से शुरू की गई दो परियोजनाएं हैं। |
| 4. | **समिति नोट करती है कि क्षेत्राधिकार के संवैधानिक विभाजन के अनुसार 'जल' संबंधी विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है। हालांकि, जल प्रबंधन को लेकर राष्ट्रीय परिदृश्य निश्चित करने और अंतर-राज्यीय विवादों से बचने के लिए 'जल' को भारत के संविधान की समवर्ती सूची में लाने की सख्त आवश्यकता महसूस की गई थी। इसके परिणामस्वरूप जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति ने अपने पहले के विभिन्न प्रतिवेदनों में इससे संबद्ध सिफारिश को दोहराया था।** | 4 | समिति की सिफारिश नोट कर ली गई है। |

| क्र.सं. | सिफारिशें | पैरा सं. | कार्यान्वयन की स्थिति |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | 2.8 इसके बावजूद, समिति जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के जवाब से यह पाती है कि विभाग ने इस संबंध में विधि और न्याय मंत्रालय से संपर्क स्थापित किया था। भारत सरकार के विधायी विभाग का मत था कि इन दोनों ही प्रविष्टियों (सूची I की प्रविष्टि 56 और सूची II की प्रविष्टि 17) के बीच सावधानीपूर्वक बनाया गया व बारीक संतुलन है, इसलिए 'जल' को समवर्ती सूची में शामिल करने वाली राज्य सूची से प्रविष्टि 17 को हटाना/स्थानांतरित करना बुद्धिमानी नहीं होगा। हालांकि, जल संरक्षण, जल परिरक्षण, जल प्रबंधन आदि से जुड़े इन मामलों को डील करने के लिए समवर्ती सूची के अंतर्गत एक अलग प्रविष्टि का होना व्यावहारिक होगा। चूंकि इस महत्वपूर्ण पहलू का अभी तक हल नहीं निकाला गया है, इसलिए समिति एक बार पुनः इस बात की सिफारिश करती है कि जल संसाधन के बेहतर संरक्षण, विकास और प्रबंधन का उद्देश्य हासिल करने के लिए जल संरक्षण, जल परिरक्षण, जल प्रबंधन आदि को डील करने हेतु सरकार को चाहिए कि वे समवर्ती सूची के अंतर्गत एक अलग प्रविष्टि लाने की ठोस व समयबद्ध पहल करें, जैसाकि विधि और न्याय मंत्रालय ने राय व्यक्त की थी। | | |
| 5. | समिति नोट करती है कि राष्ट्रीय जल नीति-2012 में जल के सभी रूपों को (वृष्टिपात, भू-आर्द्रता, भू-जल और सतही जल समेत) एक ही परिप्रेक्ष्य में लाने के साथ-साथ बेसिन/सबबेसिन को एक यूनिट मानकर भूमि व जल संसाधनों की वैज्ञानिकता योजना औक कैचमेन्ट व कमांड दोनों ही एरिया के समग्र व संतुलित | 5 | इस विभाग द्वारा तैयार प्रारूप नदी बेसिन प्रबंधन विधेयक, 2018 में विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय ने पूर्व विधायी परामर्श करने की सिफारिश की। तद्नुसार, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों और केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों से प्रारूप नदी बेसिन प्रबंधन विधेयक, 2018 पर टिप्पणियों हेतु अनुरोध किया गया। |

| क्र.सं. | सिफारिशें | पैरा सं. | कार्यान्वयन की स्थिति |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | विकास सुनिश्चित करने के निमित्त अन्तर्राज्यीय समन्वय को सुन्दर बनाने के लिए अन्तर्राज्यीय नदियों व नदी घाटियों के इष्टतम विकास हेतु एक व्यापक विधान बनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है।<br><br>इसके अनुसरण में, जस्टिस डोबिया कमेटी ने अपनी एक रिपोर्ट सौंपी थी जिसमें मौजूदा रीवर बोर्ड्स एक्ट, 1956 में संशोधन करने के लिए नदी बेसिन प्रबंधन विधेयक के नाम से एक प्रारूप विधेयक शामिल था। इसकी तीन-सदस्यीय दल द्वारा आगे और जांच-पड़ताल की गई है। इस दल ने नदी बेसिन प्रबंधन विधेयक, 2017 के प्रारूप को अंतिम रूप दिया और जल शक्ति मंत्रालय को भेज दिया। तत्पश्चात, इस प्रारूप को मंत्रालय द्वारा अंतिम रूप दिया गया है। यह प्रारूप विधेयक अभी जल शक्ति मंत्रालय में विचाराधीन है।<br><br>इस घटनाक्रम के उक्त कालक्रम पर विचार करते हुए समिति का यह मानना है कि प्रस्तावित विधान के अधिनियमन से बेसिन अप्रोच के साथ अन्तर्राज्यीय नदी जल का इष्टतम समेकित विकास और प्रबंधन होगा और इसके परिणामस्वरूप 'संघर्ष' से 'सहयोग' का वातावरण बन पाएगा। अतः समिति यह सिफारिश करती है कि मंत्रालय नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन करने और प्रत्येक नदी बेसिन के जल संसाधनों का प्रबंधन समग्र तरीके से करने के लिए प्रस्तावित नदी बेसिन अधिनियम के अधिनियमन हेतु शीघ्र उपाय करें। समिति चाहती है कि इस प्रयोजनार्थ निर्धारित विशेष समय-सीमा से उन्हें अवगत कराया जाए। | | विभाग/मंत्रालय सभी प्रयास कर रहा है ताकि विधेयक का अधिनियम हो, तथापि इस स्तर पर कोई समय रेखा निर्धारित नहीं की जा सकती है चूंकि इसमें विभिन्न राज्य सरकारों/अन्य स्टेक होल्डरों के साथ परामर्श शामिल है। राज्य सरकारों और अन्य स्टेक होल्डरों के उपयुक्त सुझावों को शामिल करने के पश्चात विधि और न्याय मंत्रालय के साथ परामर्श करके इस प्रारूप विधेयक को अंतिम रूप दिया जाएगा। |

| क्र.सं. | सिफारिशें | पैरा सं. | कार्यान्वयन की स्थिति |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 6. | **समिति यह नोट करती है कि डी.आर.आई.पी. एक विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित योजना है जिसका उद्देश्य सात राज्यों में लगभग 223 बड़े बांधों (केरल-53, मध्य प्रदेश-25, ओड़िशा-26, तमिलनाडु-89, कर्नाटक-22, झारखंड-3 और उत्तराखंड-5) का पुनरूद्धार और उन्नयन करना है। पूर्व में, परियोजना की कुल लागत लगभग 2100 करोड़ रूपए थी और इसे इसके प्रारंभ किए जाने की तिथि अर्थात 8 अप्रैल, 2012 से छह वर्षों के भीतर पूरा किया जाना था। तथापि, भारत सरकार ने डी.आर.आई.पी. की 3446 करोड़ रूपए की संशोधित लागत को स्वीकृत कर दिया है और इसे अब योजना को पूर्ण किए जाने हेतु निर्धारित संशोधित वर्ष अर्थात जून, 2020 में पूरा किया जाना है।**<br><br>**समिति विभाग के उत्तर से यह पाती है कि बजट अनुमान 2018-19 में 124 करोड़ रूपए का आबंटन किया गया था जिसे तदुपरांत 04 बांधों के व्यापक जोखिम मूल्यांकन, आई.आई.टी. कानपुर तथा सी.डब्ल्यू.आर.डी.एम. के क्षमता निर्माण और दामोदर घाटी निगम (डी.वी.सी.) के साथ संविदा संबंधी मुद्दों सहित सी.डब्ल्यू.सी. के कार्यकलापों की धीमी गति के दृष्टिगत संशोधित अनुमान स्तर पर घटाकर 75 करोड़ रूपए कर दिया गया। समिति यह जानकर आश्चर्यचकित है कि विभाग संशोधित अनुमान स्तर पर 2018-19 में आबंटित 75 करोड़ रूपए की राशि का भी उपयोग नहीं कर पाया और विभाग द्वारा राजकोषीय वर्ष 2018-19 के दौरान केवल 49.45 करोड़ रूपए का ही उपयोग किया गया। समिति आगे यह नोट करती है कि जल संसाधन, नदी विकास औरगंगा** | 6 | यह विभाग बांध पुनरूद्धार और सुधार कार्यक्रम (ड्रिप) के तहत उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड (यू.जे.वी.एन.एल.) और दामोदर घाटी निगम (डी.वी.सी.) के घटको को सफलतापर्वक पूरा करने को सुनिश्चित करने हेतु सभी प्रयास कर रहा है।<br><br>इन मुद्दों को उपयुक्त उपचारात्मक कार्रवाई हेतु सचिव, ज.सं., न.वि. और गं.सं. विभाग की अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्तरीय संचालन समिति (एनएलएससी), सदस्य, सीडब्ल्यूसी के तहत तकनीकी समिति और विश्व बैंक जैसे परियोजना मॉनीटरिंग तंत्र द्वारा पता लगाया जा रहा है। इस मामले पर इन संगठनों के वरिष्ठ/उच्च स्तर प्रबंधन के साथ नियमित रूप से कार्य किया जा रहा है।<br><br>इसके अलावा, दामोदर घाटी निगम को पहले ड्रिप के केंद्रीय घटक के तहत समर्थन दिया गया था। मूल ड्रिप योजना को 29 जून, 2020 को बंद कर दिया गया है; इसलिए डीवीसी की सभी डीआरआईपी गतिविधियों को उसी के अनुसार बंद कर दिया गया है। इसके अलावा, चल रहे कोविड-19 महामारी के कारण, डी.वी.सी. योजनाबद्ध वितीय लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया है। 30 जून, 2020 से आगे की शेष पुनर्वास गतिविधियों को डीवीसी द्वारा अपने स्वयं के बजट से पूरा किया जाएगा ताकि योजना के उद्देश्यों को सुनिश्चित किया जा सके। |

| क्र.सं. | सिफारिशें | पैरा सं. | कार्यान्वयन की स्थिति |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | संरक्षण विभाग के समक्ष आ रही महत्वपूर्ण बाधाओं में राज्य कार्यान्वयनन एजेंसियों द्वारा राज्य परियोजना प्रबंधन इकाइयों के अधिकारियों का बार-बार स्थानांतरण किया जाना, बोली दस्तावेजों को तैयार करने से संबंधित मामलों में कुछ पार्टनर एजेंसियों की प्रचालनात्मक क्षमता सीमित होना, मूल्यांकन तथा संविदा प्रबंधन इत्यादि शामिल हैं। समिति यह भी पाती है कि 198 बांध परियोजनाओं में से 147 बांधों का पुनरूद्धार कार्य पूरा हो गया है। लेकिन, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड (यू.जे.वी.एन.एल.) और दामोदर घाटी निगम (डी.वी.सी.) द्वारा पुनरूद्धार कार्य के संबंध में कोई ठोस प्रगति नहीं की गई है।<br><br>अतः, समिति यह सिफारिश करती है कि विभाग द्वारा उपरोल्लिखित बाधाओं को दूर करने हेतु समेकित प्रयास किए जाएं ताकि समग्र कार्यक्रम को निर्धारित समय-सीमा में पूरा किया जा सके। समिति आगे यह भी आग्रह करती है कि विभाग द्वारा उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड और दामोदर घाटी निगम को इस मामले पर कार्रवाई करने को कहा जाए ताकि उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किए जाने वाले पुनरूद्धार कार्य को समुचित रूप से पूरा किया जा सके। | | |
| 7. | समिति पाती है कि बांध सुरक्षा विधेयक, 2018 संसद में दिसंबर, 2018 को पुरःस्थापित किया गया था। हालांकि, लोक सभा के भंग होने के साथ ही यह विधेयक व्यपगत हो गया। तदनन्तर, बांध सुरक्षा विधेयक, 2019 संसद में फिर से लाया गया और लोक सभा द्वारा 02.08.2019 को इसे पारित किया गया। इस संदर्भ में | 7 | बांध सुरक्षा विधेयक, 2019 लोक सभा में दिनांक 29 जुलाई, 2019 को प्रस्तुत किया गया ता और 2 अगस्त, 2019 को लोक सभा द्वारा पारित कर दिया गया। इस विधेयक को निकट भविष्य में राज्य सभा में प्रस्तु करने की संभावना है।<br><br>यह विभाग इस विधेयक की शीघ्र अधिनियमन के लिए सभी प्रयास कर रहा है |

| क्र.सं. | सिफारिशें | पैरा सं. | कार्यान्वयन की स्थिति |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | विभाग ने समिति को बताया कि राज्य सभा में इस पर संसद के अगले सत्र में विचार किया जाएगा।<br><br>समिति इस बात की सराहना करती है कि बांध सुरक्षा विधेयक, 2019 में बांधों का सुरक्षित कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए देश में सभी विशेषीकृत बांधों की समुचित निगरानी, निरीक्षण, ऑपरेशन और उनके रख-रखाव की व्यवस्था की गई है। विधेयक में राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति के गठन की भी व्यवस्था की गई है जो बांध सुरक्षा नीतियां बनाएगी और इस प्रयोजनार्थ जब जैसी जरूरत हो उसके अनुरूप आवश्यक विनियम की सिफारिश करेगी। इसमें एक विनियामक निकाय के रूप में राष्ट्रीय बांध सुरक्षा की नीति, दिशा-निर्देश और उसके मानकों को कार्यान्वित करने का कार्य करेगा। इसमें आगे बांधों की निगरानी, आकस्मिक कार्य योजना, व्यापक बांध सुरक्षा समीक्षा, सहायता और सुरक्षा संबंधी मैनुअल आदि समेत बांध सुरक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों को दूर करने की भी बात कही गई है। इसमें बांध सुरक्षा का दायित्व बांध के स्वामी पर होने और कतिपय विशेष कृत्यों की भूल-चूक के लिए दंडात्मक प्रावधान की व्यवस्था स्पष्ट रूप से की गई है।<br><br>इस तथ्य को नोट करते हुए देश में तकरीबन 5745 बांध (5334 कार्यरत और 411 निर्माणाधीन) हैं और इनमें से कई बांधों की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के शीघ्र उपाय किए जाने की आवश्यकता है, समिति यह आशा करती है कि विभाग इस अधिनियम को अतिशीघ्र अधिनियमित करने में कामयाब हो सकेगा। | | |

| क्र.सं. | सिफारिशें | पैरा सं. | कार्यान्वयन की स्थिति |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 8. | **समिति पाती है कि नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत 31 अगस्त, 2019 तक 28543.47 करोड़ रूपए की लागत से कुल 299 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया जिसमें से 106 परियोजनाएं पूरी हो गई हैं| इन 299 परियोजनाओं में से 150 परियोजनाएं सीवेज अवसंरचना से सम्बंधित हैं| हालंकि इनमें से मात्र 43 परियोजनाएं पूरी की गई हैं। समिति यह भी नोट करती है कि 3729.92 मिलियन लीटर प्रति दिन (एम.एल.डी.) की सीवरेज शोधन क्षमता की तुलना में 31 मई, 2019 तक (मात्र 575.84) (एम.एल.डी.) की एस.टी.पी. क्षमता सृजित की गई है| जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के सचिव ने 23 अक्टूबर, 2019 को हुए मौखिक साक्ष्य के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत निधियों के अल्प उपयोग के पहलू से सहमत होते हुए कैविएट यह अगले दो वर्षों मै दाखिल किया कि औद्योगिक अपशिष्ट से सम्बंधित परियोजनाओं सहित सभी सीवेज अवससंरचना परियोजनाएं पूरी की जाएंगी|**<br><br>**इस तथ्य के दृष्टिगत की नमामि गंगे परियोजना मंत्रिमंडल द्वारा 2015 में 20,000 करोड़ रुपए अनुमोदित किए गए थे, जिस पर 2020 तक 20,000 करोड़ रुपए व्यय किये जाने थे, समिति परियोजनाओं की धीमी गति है अप्रसन्न है जिसके कारण काम व्यय हो रहा है| समिति की राय है कि परियोजनाओं को समयबद्ध रूप में कार्यान्वित किया जाना चाहिए अन्यथा समय और लागत दोनों की बढ़ोतरी होती है| समिति आशा करती है कि अब विभाग अपनी कमर कस लेगा और इस कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजनाओं** | 8 | नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत 31 जुलाई, , 2020 तक विभिन्न गतिविधियों जैसे सीवर संरचना, घाटों और शवदाह गृह, नदी तट विकास, नदी तल सफाई, संस्थानीय विकास, जैव विविधता संरक्षण और ग्रामीण स्वच्छता के लिए 28,854 करोड़ रुपए की कुल लागत पर कुल 315 परियोजनाएं मंजूर की गई हैं| 132 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं और बकाया बची हुई परियोजनाएं कार्यान्वयन औरनिविदाके विभिन्न स्तरों पर हैं| अब तक पूरी हो चुकी और प्रगति के तहत परियोजनाओं पर किया गया कुल व्यय 9066 करोड़ रुपए है|<br><br>नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत, प्रचालन और अनुरक्षण के लिए 15 वर्ष की लागत सहित सीवरेज अवसंरचना परियोजनाएं पूरी कर ली गई हैं| परियोजनाओं के निष्पादनके बाद प्रचालन और अनुरक्षण से सम्बंधित व्यय का उपयोग 15 वर्षों के लिए वार्षिक रूप में एक चरणबद्ध प्रक्रिया में किया जाएगा| दूसरा, हाईब्रिड एनुइटी मोड के तहत सीवरेज अवसंरचना परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं|परियोजना निष्पादन के दौरान केवल 40% के व्यय के पूँजी व्यय का हुआ और परियोजना के प्रचालन और अनुरक्षण के दौरान 60 % का कैपेक्स और ओ और एम की लगता वार्षिक रूप से एक चरणबद्ध प्रक्रिया में खर्च की जाएगी| उपर्युक्त पर विचार करते हुए परियोजनाओं के ओ और एम के दौरान कुल स्वीकृत लागत का 30% एक चरणबद्ध प्रक्रिया में खर्च किया जाएगा|<br><br>नमामि गंगे कार्यक्रम विभिन्न क्षेत्रों में फैला हुआ है और अनेक अभिकरणों से घिरा हुआ है| इसीलिए, कार्यान्वयन का स्तर संकीर्ण और प्रक्रियात्मक विलम्ब अन्तर्निहित है| हालांकि, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगामिशन द्वारा इन मुद्दों का शीघ्रता से समाधान करने और कार्यक्रम के कार्यन्वयन की गति में सुधार करने का प्रयास |

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>सिफारिशें</th><th>पैरा सं.</th><th>कार्यान्वयन की स्थिति</th></tr>
<tr><td>(1)</td><td>(2)</td><td>(3)</td><td>(4)</td></tr>
<tr><td></td><td>को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा करने हेतु हर संभव प्रयास करेगा|</td><td></td><td>किया गया है| अब, इस कार्यक्रम ने गति पकड़ ली है और वित्त वर्ष 2017-18 से निधियों के उपयोग को मूल रूप से चुना गया है|<br><br>2017 के बाद से, जब से एनएमसीजी को एक प्राधिकरण और बढ़ोत्तरी करते हुए उपयुक्त स्थान लेने वाले संस्थान के रूप में चिन्हित किया गया है, तब से अब तक 151 सीवरेज क्षेत्र परियोजनाओं में से 95 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है| 2014 में 462. एमएलडी के लिए 28 परियोजनाओं की तुलना में कुछ वर्षों में 4412 एमएलडी के सृजन क्षमता के लिए 123 अतिरिक्त सीवेज परियोजनाओं की बहुसंख्यक वृद्धि हुई है|<br><br>परियोजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति नीचे दी गई सूची में है|<br><br>
<table>
<tr><th>वर्ष</th><th>स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या</th><th>स्वीकृत लागत (करोड़ रूपए में)</th><th>पूर्ण परियोजनाओं की संख्या</th></tr>
<tr><td>मार्च, 2014 तक</td><td>72</td><td>4608</td><td>16</td></tr>
<tr><td>2014-15</td><td>21</td><td>3184</td><td>10</td></tr>
<tr><td>2015-16</td><td>7</td><td>584</td><td>2</td></tr>
<tr><td>2016-17</td><td>60</td><td>2678</td><td>11</td></tr>
<tr><td>2017-18</td><td>40</td><td>9547</td><td>10</td></tr>
<tr><td>2018-19</td><td>92</td><td>7781</td><td>39</td></tr>
<tr><td>2019-20</td><td>21</td><td>584.5</td><td>34</td></tr>
<tr><td>2020-21*</td><td>2</td><td>-112.4</td><td>10</td></tr>
<tr><td>कुल</td><td>315</td><td>28854</td><td>132</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>सिफारिशें</th><th>पैरा सं.</th><th>कार्यान्वयन की स्थिति</th></tr>
<tr><td>(1)</td><td>(2)</td><td>(3)</td><td>(4)</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>एनएमसीजी द्वारा संवितरित राशि<br><table><tr><th>क्र.सं.</th><th>वर्ष</th><th>(करोड़ रूपए में)</th></tr><tr><td>1.</td><td>2014-15</td><td>170.99</td></tr><tr><td>2.</td><td>2015-16</td><td>602.60</td></tr><tr><td>3.</td><td>2016-17</td><td>1062.81</td></tr><tr><td>4.</td><td>2017-18</td><td>1625.01</td></tr><tr><td>5.</td><td>2018-19</td><td>2625.54</td></tr><tr><td>6.</td><td>2019-20</td><td>2673.09</td></tr><tr><td>7.</td><td>2020-21*</td><td>154.16</td></tr><tr><td></td><td>कुल</td><td>8915.20</td></tr></table>*31 जुलाई 2020 तक<br>उपर्युक्त से स्पष्ट है कि, पिछले कुछ वर्षों में निधियों के उपयोग में सुधार हुआ है और इनमें आगे सुधार होने की उम्मीद है क्योंकि विभिन्न स्तरों पर वृहद् संख्या की परियोजनाएं प्रक्रियाधीन हैं।</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>समिति ने पाया कि नदियों को परस्पर जोड़ने से संबंधित कोई भी परियोजना निष्पादन स्तर तक नहीं पहुंच पाई है। तथापि, हिमालयी घट के अंतर्गत चौदह लिंकों की पूर्व-साध्यता रिपोर्ट (पीएफआर), दो लिंकों की व्यवहार्यता रिपोर्ट (भारतीय भाग) और सात लिंकों की प्रारूप व्यवहार्यता रिपोर्ट पूर्ण कर ली गई हैं। प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत, 16 लिंकों की पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट, चौदह लिंकों की व्यवहार्यता रिपोर्ट और 6 लिंकों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई है।</td><td>9</td><td>सरकार परामर्शी तरीके से नदियों के परस्पर जोड़ कार्यक्रम का अनुसरण कर रही है। सितंबर, 2014 में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण (अब जल शक्ति मंत्रालय) के माननीय मंत्री की अध्यक्षता के तहत आईएलआर कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए 'नदियों के परस्पर जोड़ के लिए विशेष समिति' का गठन किया गया। नदियों के परस्पर जोड़ के लिए विशेष समिति की बैठकों में विभिन्न राज्य सरकारों, विशेषज्ञों और अन्य शेयर धारकों से आईएलआर पर प्राप्त विचारों और प्रेक्षणों पर विचार-विमर्श किया गया। आईएलआर के लिए विशेष समिति पर</td></tr>
</table>

| क्र.सं. | सिफारिशें | पैरा सं. | कार्यान्वयन की स्थिति |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | **समिति यह भी नोट करती है कि आईएलआर परियोजनाओं के कार्यान्वयन में मुख्य बाधाएं जल विभाजन के लिए संबंधित राज्यों के बीच सहमति पर पहुंचने और अधिनिर्णय के अनुसार विद्यमान आबंटन में व्यवधान के लिए, लिंक प्रस्तावों में यथाप्रस्तावित लिफ्ट वाटर्स के लिए विद्युत की आवश्यकता है। आईएलआर परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विभिन्न सांविधिक स्वीकृतियां प्राप्त करना भी शामिल है, जिसमें पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से वन और वन्य जीवन संबंधी स्वीकृति शामिल है। आईएलआर परियोजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित अन्य मुद्दे भूमि अधिग्रहण, विस्थापित आबादी का पुनःस्थापन और पुनर्वास है। समिति इस तथ्य पर भी ध्यान देती है कि माननीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री (अब जल शक्ति मंत्रालय) की अध्यक्षता में सितंबर, 2014 में 'नदियों को परस्पर जोड़ना संबंधी विशेष समिति' गठित की गई थी। इसके अतिरिक्त, तत्कालीन जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में नदियों को परस्पर जोड़ने के लिए एक कार्य बल गठित किया गया था।**<br><br>**समिति यह नोट करती है कि विभिन्न राज्यों के बीच आम सहमति का अभाव महत्वाकांक्षी आईएलआर परियोजना में मुख्य बाधा है। आईएलआर कार्यक्रम के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए और राज्यों के बीच लिंक प्रस्तावों पर आम सहमति पर पहुंचने के लिए समिति सिफारिश करती है कि विभाग आम सहमति विकसित करने के लिए सभी संबंधित राज्यों को साथ लाने के लिए ठोस** | | अब तक सत्रह बैठकों का आयोजना किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय (अब जल शक्ति) द्वारा नदियों के परस्पर जोड़ के लिए एक कार्यदल का गठन किया गया है। आईएलआर के लिए कार्यदल पर अब तक ग्यारह बैठकों का आयोजन किया जा चुका है। संबंधित राज्यों में मतैक्य उत्पन्न करने के लिए सशक्त प्रयास किए गए हैं।<br><br>परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए भागीदार राज्यों के बीच मतैक्य से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने हेतु केन-बेतवा लिंक परियोजना पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच बंटने वाले जल और दमनगंगा-पिंजाल और पार-तापी नर्मदा नर्मदा लिंक परियोजना पर महाराष्ट्र और गुजरात के बीच बंटने वाले जल की भागीदारी मुद्दों के संबंध में से चार प्राथमिक लिंकों, नामतः दमनगंगा-पिंजाल लिंक परियोजना, पार-तापी-नर्मदा लिंक परियोजना और गोदावरी-कावेरी लिंक परियोजना छांटा/चुना गया है। इससे भी अधिक, गोदावरी-कावेरी लिंक परियोजना की ड्राफ्ट परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) भागीदार राज्यों के बीच परिचालित की गई है और परियोजना की डीपीआर भागीदार राज्यों से प्राप्त टिप्पणी के आधार पर ही तैयार की जाएगी। |

| क्र.सं. | सिफारिशें | पैरा सं. | कार्यान्वयन की स्थिति |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | और समय-बद्ध प्रयास करे ताकि यह परियोजना और अधिक विलम्ब के बिना कार्यान्वित की जा सके। | | |
| 10. | समिति ने पाया कि जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना, भूजल प्रबंधन और विनियमन योजना बारहवी योजना (2012-2017) से चल रही है। यह योजना वित्त वर्ष 2017-2020 के दौरान 992 करोड़ रूपए के परिव्यय से परिचालन में रही है। समिति यह भी नोट करती है कि वित्त वर्ष 2018-19 की तुलना में वित्त वर्ष 2019-2020 के लिए इस योजना के लिए बजट आबंटन में काफी कटौती की गई है। विभाग के कथनानुसार, यह कटौती इस तथ्य के कारण हुई है कि डाटा जनरेशन के लिए परिकल्पित लक्ष्य वर्ष 2019-2020 की तुलना में वर्ष 2018-19 के लिए अधिक थे।<br>इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उस समय जब देश घटते भूजल स्तर के संदर्भ में संकट का सामना कर रहा था, समिति की यह राय है कि इतनी महत्वपूर्ण योजना के लिए कम धनराशि के आबंटन की मांग की बजाय, विभाग को इस योजना के लिए बजट सहायता में वृद्धि की मांग करनी चाहिए और संबंधित राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके व्यावहारिक अल्पकालिक और दीर्घकालिक नीतियां/कार्यक्रम बनाए ताकि संपूर्ण देश की इस मुश्किल स्थिति से बाहर निकला जा सके। समिति से मंत्रालय से आग्रह करती है कि वह जहां भूमि जल का स्तर बड़ी तेजी से कम हो रहा है, उन विशिष्ट स्थलों/क्षेत्रों की पहचान करे, जहां यह समस्या न केवल बनी हुई | 10 | जल राज्य का विषय है, देश में संरक्षण और जल संचयन सहित जल प्रबंधन पर पहल प्राथमिक रूप से राज्य की जिम्मेदारी है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों की अनुपूरक बनने के प्रयास में, विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों के माध्यम से जल संसाधनों के लिए सतत विकास और प्रभावशाली प्रबंधन के लिए भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। बहुसंख्यक राज्यों ने जल संरक्षण/संचयन के क्षेत्र में बहुत ही सराहनीय कार्य किया है जैसे कि राजस्थान में 'मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान', महाराष्ट्र में 'जलयुक्त शिबर', गुजरात में 'सुजलाम सुफलाम अभियान', तेलंगाना में 'मिशन ककातिया', आंध्र प्रदेश में 'नीरू चेट्टू', बिहार में 'जल जीवन हरियाली', और सभी के साथ हरियाणा में 'जल ही जीवन' है।<br>इसके अतिरिक्त, 'वर्षा जल संचयन कार्य' विषय का निरीक्षण करने के दौरान समिति की सिफारिशों के अनुसार मंत्रालयों के स्टेक-होल्डर के प्रतिनिधियों और राज्य-सरकारों के साथ विभाग द्वारा भारत में भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए मास्टर प्लान की तैयारी और उसे अंतिम रूप देने के लिए एक समिति का गठन किया गया। समिति की रिपोर्ट जून 2020 में मंत्रालय को सौंप दी गई है और विभाग में इस पर विचार किया जा रहा है<br><br>वित्त वर्ष 2019-20 में Rs.260.20 करोड़ के BE और Rs.243.18 करोड़ के RE के खिलाफ, Rs.242.70 करोड़ का उपयोग किया जा सका |

| क्र.सं. | सिफारिशें | पैरा सं. | कार्यान्वयन की स्थिति |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | है, बल्कि बहुत तेजी से बढ़ रही है, एक विशेषज्ञ समिति का गठन करे विशेषज्ञ समिति रियल टाइम आधार पर डाटा का मिलान करने के लिए सैटेलाइट फीड सहित उपलब्ध प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करे, जिसे पब्लिक डोमेन में भी उपलब्ध कराया जा सके। | | |
| 11. | समिति ने पाया कि पहले, तत्कालीन जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय (अब नाम बदल कर जल शक्ति मंत्रालय कर दिया गया है) को 2020 तक 23 लाख वर्ग कि.मी. का जलभृत मानचित्रण (एक्वीफर मैपिंग) करना था, जिसे बाद में संशोधित करके 2020 तक पूरा किये जाने के लिए 12.9 लाख वर्ग कि.मी. कर दिया गया अर्थात 44% की कमी की गई। अब, इसे और कम करके 10.3 लाख वर्ग किलोमीटर कर दिया गया है, इसे 2020 तक पूरा किया जाना है अर्थात 20% की कमी और की गई। जहां तक वास्तविक उपलब्धि का संबंध है, समिति यह भी नोट करती है कि अगस्त 2019 तक, 6.6 लाख वर्ग कि.मी. के लक्ष्य की तुलना में केवल 5.2 लाख वर्ग कि.मी. 'जलभृत मानचित्रण' किया गया है। समिति विभाग के उत्तर से यह नोट करती है कि केन्द्रीय भूजल बोर्ड में आवश्यकता और श्रम शक्ति की स्थिति की तात्कालिकता के दृष्टिगत मंत्रालय के साथ परामर्श करके केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा लक्ष्यों में संशोधन किया जाता है। इसके अतिरिक्त, जलभृत प्रबंधन प्लान की तैयारी में तेजी लाने के लिए केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा हाल में मैसर्स वाप्कोस (डब्लयूएपीसीओएस) लिमिटेड को नियुक्त (हायर) किया गया है। | 11 | केन्द्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्लयूबी) द्वारा वर्ष 2012 से राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण (एनएक्यूयूआईएम) कर्याक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है। केन्द्रीय भूजल बोर्ड ने देश के कुल 24.8 लाख वर्ग कि.मी. के मानचित्रण क्षेत्रफल में से अभी तक 13 लाख वर्ग कि.मी. क्षेत्रफल में जलभृत मानचित्रण/प्रबंधन योजना का काम पूरा कर लिया है। इसके अलावा, इन्होंने वर्ष 2023 तक पूरे देश में जलभृत मानचित्रण को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। एनएक्यूयूआईएमसे एकत्र की गई जानकारी के परिणामों को राज्य सरकारों के साथ साझाकी जाती है जिससे यथोचित कार्य किए जा सकें। जहां तक श्रम शक्ति की कमी की बात है तो केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा परामर्शदाताओं/युवा पेशेवरों को हायर करने की योजना है, जिससे कि वांछित परिणामों को हासिल किया जा सके। |

| क्र.सं. | सिफारिशें | पैरा सं. | कार्यान्वयन की स्थिति |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | जलभृत मानचित्रण (एक्वीफर मैपिंग), जो एक बहुविषयक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जिसमें, भूगर्भीय, जल-भूविज्ञानी, भूभौतिकीय, जल विज्ञानी का संयोजन है, और मुख्यत: राज्य भूजल की मात्रा, गुणवत्ता और आवाजाही का विवरण देने के लिए, इसे मुख्यत: राज्य भूजल विभाग/गों/केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा किया जाता है, गुणवत्ता डाटा एकीकृत किया जाता है, के महत्व के मद्दे-नजर, समिति विभाग से आग्रह करती है कि वह ठोस प्रयास करे ताकि इस कार्यक्रम को केन्द्रीय भूजल बोर्ड में श्रम शक्ति के अभाव के कारण नुकसान न हो और दी गई समय सीमा के अंदर परियोजना को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों के साथ संपर्क भी स्थापित किया जाए ताकि लक्ष्यों में लागे संशोधन/कटौती से छुटकारा मिल सके। | | |
| 12. | समिति यह नोट करती है कि जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने सहमति व्यक्त की है कि देश में सिंचित कृषि में 'जल उपयोग कुशलता' अपेक्षिाकृत कम है, जिसके परिणामस्वरूप फसल उत्पादन के लिए कई अन्य देशों की तुलना में जल का अधिक उपयोग होता है। विभागके अनुसार, इसका मुख्य कारण कृषि जलवायु स्थिति और उस क्षेत्र में जल की उपलब्धता का विचार किये बिना फसलों की खेती किया जाना है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न अन्य कारक जैसे सरकार की प्रापण नीति, बाजार तक पहुँच आदि भी विनियमन फसल पद्धति के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। नि:शुल्क अथवा अत्यधिक सब्सिडाज्ड बिजली, मौजूदा कृषि विज्ञानी पद्धतियों और बाढ सिंचाई का प्रचलित अपयोग आदि भी कृषि | 12 | भारत में 85-89% जल का प्रयोग कृषि उद्देश्यों और लगभग 5% जल का प्रयोग पीने और घरेलू उद्देश्यों में होता है। इसलिए, कृषि क्षेत्र में होने वाली छोटी जल बचत का भी पेयजल और घरेलू उद्देश्यों के लिए जल उपलब्धता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पडेगा।<br><br>राष्ट्रीय जल मिशन ने 14.11.2019 से **'सही फसल'** नाम से एक अभियान शुरू किया है जो जल की कमी वाले क्षेत्रों में किसानों को कम पानी वाली फसलों को उगाने के लिए प्रेरित करने के साथ ही यह फसलें प्रयोग की प्रभावी कुशलता; आर्थिक रूप से लाभकारी स्वास्थ्यवर्धक और पोषक होती है। यह फसले-कृषि-जलवायु-जलीय विशेषताओं के अनुकूल होने के साथ पर्यावरण संरक्षण में भी सहायक होती है। किसानों के बीच उचित फसलों, सूक्ष्म सिंचाई, मृदा नमी संरक्षण इत्यादि के बारे में जागरूकता बढाने, किसानों को जल सघनता वाली फसलें जैसे धान, गन्ना |

| क्र.सं. | सिफारिशें | पैरा सं. | कार्यान्वयन की स्थिति |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | **क्षेत्र में जल के अत्यधिक उपयोग को बढावा देते हैं।**<br><br>**समिति विभाग के कथन से यह भी नोट करती है कि देश में कृषि क्षेत्र में 'जल उपयोग कुशलता' में सुधार के लिए सरकार द्वारा विभिन्न उपाय किये गए हैं जिसमें पीएमकेएसवाई- 'पर ड्राप मोर क्रॉप' शामिल है। इसका उद्देश्य सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से जल उपयोग कुशलता, जल संरक्षण और जल उपयोग कुशलता, जल संरक्षण और जल उपयोग कुशलता को बढाने की सर्वश्रेष्ठ पद्धतियोंको पुरस्कृत करने के लिए 'राष्ट्रीय जल पुरस्कार' का प्रतिष्ठापन है। पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने भी कृषि क्षेत्र में जल की मांग को कम करनेके लिए पहल की हैं। विभाग ने सिंचाई, पेयजल आपूर्ति, विद्युत उत्पादन, उद्योग आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 'जल उपयोग कुशलता' में सुधार लाने के लिए 'राष्ट्रीय जल उपयोग कुशलता ब्यूरा' की स्थापना का प्रस्ताव भी किया है।**<br><br>**'वाटर यूज एफिसिएन्सी (जल उपयोग कुशलता)' को उन्नत बनाने में सरकार की भिन्न-भिन्न तरह की गई पहल की सराहना करते हुए समिति यह भी नोट करती है कि प्रस्तावित नेशलन ब्यूरो ऑफ वाटर यूज एफिसिएन्सी का गठन विभाग की लम्बे समय की कार्य-सूची में शामिल रहा है। <u>इस संबंध में समिति ने भी ऐसे ब्यूरो के शीघ्र गठन की सिफारिश की थी। हालांकि समिति यह जानकर चिँतित है की इस तंत्र को वास्तविक रूप दिया जाना अभी भी शेष है। अत: समिति इस बात की पुन: सिफारिश करती है कि सांविधिक शक्तियों के साथ 'नेशनल ब्यूरो ऑफ वाटर</u>** | | इत्यादि फसलों के स्थान पर मक्का, ज्वार इत्यादि कम जल सघनता वाली फसलों की ओर ले जाना है। नीति निर्माताओं को नीति निर्माण में सहायता करना जो इन वैकल्पिक फसलों के इनपुट के प्रभावी मूल्य (जल और विद्युत); इनकी खरीद और बाजार; इनके भंडारण इत्यादि की उचित व्यवस्था जिससे अंतत, किसानों की आय में बढोतरी होती है, **"सही फसल"** की प्रमुख विशेषताएं हैं।<br><br>सही फसल के तहत, देश में पानी की कमी वाले क्षेत्रों में कार्यशालाओं की एक श्रृंखला आयोजित की जा रही है। राष्ट्रीय जल मिशन ने अब तक **"सही फसल"** पर 4 कार्यशालाओं अमृतसर में - 14.11.2019, नई दिल्ली में 26-27.11.2019, औरंगाबाद में 13.01.2020 और कुरूक्षेत्र में 14.02.2020 आयोजन किया है।<br><br>राष्ट्रीय जल मिशन में उल्लिखित जल प्रयोग दक्षता को बढाने की राणनीतियों तैयार करना बहुपक्षीय कार्य हैं जिसमें विभिन्न एजेंसियों और संस्थानों के साथ उच्च स्तरीय सहयोग शामिल होता है। कार्य में अधिकार प्राप्त केन्द्रीय एजेंसी द्वारा शुरू किए जाने वाले, योजना तैयार करने वाले देश व्यापी संशोधन शामिल रहते हैं। इसलिए, **"नेशनल ब्यूरो ऑफ वाटर यूज एफीसियेंसी (एनबीडब्ल्यूयू)"** के गठन का प्रस्ताव किया गया है। प्रस्तावित ब्यूरो पर पूरे देश में सिंचाई, पेयजल आपूर्ति, बिजली उत्पादन उद्योगों, शहरों इत्यादि विभिन्न क्षेत्रों में जल प्रयोग दक्षता को बढाने की पूरी जिम्मेदारी होगी।<br><br>स्थापना व्यय समिति (सीईई) द्वारा मूल्यांकन के लिए "राष्ट्रीय जल उपयोग दक्षता (NBWUE) के राष्ट्रीय ब्यूरो" की स्थापना के लिए संशोधित प्रस्ताव पोस्ट अंतर-मंत्रालयी परामर्श, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय को 03 जुलाई 2020 को मूल्यांकन के लिए भेजा गया है। सीईई की |

| क्र.सं. | सिफारिशें | पैरा सं. | कार्यान्वयन की स्थिति |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | यूज़ एफिसिएन्सी' का गठन अति शीघ्र हो जिससे यह जल की धडल्ले से हो रही बर्बादी के लिए प्रयोक्ताओं को उत्तरदायी बनाकर 'वाटर यूज एफिसिएन्सी' को उन्नत बनाने में नि:संदेह महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। | | मंजूरी के बाद, इस प्रस्ताव को मंत्रिमंडल के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा। |
| 13. | समिति को विभाग की ओर से अवगत कराया गया है कि मल्टी-डिसिप्लिनरी एक्सपर्ट कमिटि का गठन सफलापूर्वक कार्यान्वित 'इनोवेटिव वाटर रिचार्ज/कंजरवेशन टेकनिक्स/टेक्नोलोजीजी' का पता लगाने के लिया किया गया था जिसने जनवरी, 2018 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। समिति की महत्वपूर्ण सिफारिशों में अन्य बातों के अलावा विभिन्न परियोजनाओं मे अमल में लाई गई कई नवीन लागत प्रभावी प्रौद्योगिकियों को अपनाने की खेत-खलिहानों में जल संरक्षण और भू-जल को रिचार्ज करने की उपयोगी परंपरागत पद्धति को अपनाया जाना, जल भू-विज्ञान, वर्षा की मात्रा, कृषि-जलवायु की दशा पर आधारित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त समझे जाने वाले समुचित उपायों का पता लगाना और साथ ही, जल अभाव वाले क्षेत्र को पहले प्राथमिकता दिया जाना, सामुदायिक भागीदारी और उसके क्षमता निर्माण का बढाना शामिल हैं।<br><br>जल पर्यावरण की रक्षा करने और मानव की वर्तमान व भावी मांग को पूरा करने के लिए सतत संसाधनों के रूप में जल के परिरक्षण व सुविचारित प्रबंधन को देखते हुए समिति यह चाहती है कि मंत्रालय इस मल्टी डिसिप्लिनरी एक्पर्ट कमिटि की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए सभी संभव उपाय करें। | 13 | विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट में विभिन्न राज्यों में लागू जल संरक्षण उपायों की सफलता की कहानियों के आधार पर अवसंरचनाओं की प्रतिकृति के बारे में सिफारिश की थी। समिति की प्रमुख सिफारिशों में से एक ऐसी गतिविधियों में समुदाय की भागीदारी पर थी।<br><br>जल राज्य का विषय है, देश में जल संरक्षण और जल संचयन सहित जल प्रबंधन पर पहल करना मुख्य रूप से राज्यों की जिम्मेदारी है। भारत सरकार, जल संसाधनों के सतत विकास और कुशल प्रबंधन को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके पूरा करती है।<br><br>कई राज्यों ने जल संरक्षण/संचयन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। इनमें से कुछ कार्य अर्थात राजस्थान में 'मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान', महाराष्ट्र में 'जलयुक्त शिबर', गुजरात में 'सुजलम सुफलाम अभियान', तेलंगाना में 'मिशन काकातिया', आंध्र प्रदेश में 'नीरू चेट्टू', हरियाणा में 'जल जीवन ' जीवन' शामिल हैं।<br><br>भारत सरकार ने भारत के 256 जिलों में पानी की कमी वाले ब्लॉकों में भूजल की स्थिति सहित जल उपलब्धता में सुधार करने के लिए मिशन मोड दृष्टिकोण के साथ जल शक्ति अभियान नाम से एक समयबद्ध अभियान शुरू किया है। इस संबंध में, जल शक्ति मंत्रालय से तकनीकी अधिकारियों के साथ केंद्र सरकार के अधिकारियों के दलों को जल की कमी वाले जिलों का दौरा |

| क्र.सं. | सिफारिशें | पैरा सं. | कार्यान्वयन की स्थिति |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | | | करने और उपयुक्त कार्रवाई करने और जिला स्तर के अधिकारियों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था। जल शक्ति अभियान के अंतर्गत हितधारकों के बीच व्यापक जागरूकता पैदा हुई है।<br><br>2020-21 में, जेएसए को मूल रूप से देश के सभी जिलों में लेने की परिकल्पना की गई थी, लेकिन COVID महामारी के कारण, व्यापक कार्य की परिकल्पना नहीं की जा सकी। हालांकि, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) के तहत प्रवासी लोगों को आजीविका प्रदान करने के लिए, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य में 116 जिलों को जल संरक्षण कार्य करने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत, चिन्हित किया गया है।<br><br>भारत सरकार ने सामुदायिक भागीदारी के साथ भूजल संसाधनों के सतत प्रबंधन के लिए 6000 करोड़ रूपए की केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना अटल भूजल योजना (अटल जल) को मंजूरी दी है। अटल जल को, सात राज्यों अर्थात गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के जल जल की कमी वाले 78 जिलों में लागू किया जा रहा है।<br><br>कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना के घटक हर बूंद से अधिक फसल को लागू कर रहा है, जो देश में 2015-16 से संचालित हो रही है। प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना - हर बूंद से अधिक फसल, मुख्य रूप से सटीक/सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से कृषि स्तर पर जल उपयोग की दक्षता पर केंद्रित है। सटीक सिंचाई (ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली) और बेहतर ऑन-फार्म जल प्रबंधन प्रणालियों (उपलब्ध जल संसाधनों की इष्टतम |

| क्र.सं. | सिफारिशें | पैरा सं. | कार्यान्वयन की स्थिति |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | | | उपयोग करने के लिए) को बढ़ावा देने के अलावा, यह घटक सूक्ष्म सिंचाई के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए लिए सूक्ष्म स्तर के जल भंडारण या, जल संरक्षण/प्रबंधन गतिविधियों में भी सहायक होता है।<br><br>जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के साथ परामर्श और समझौता करके, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (एनआरएम) हेतु कार्रवाई योग्य एक फ्रेमवर्क विकसित किया है, जिसका शीर्षक "जल संरक्षण मिशन" है जो निधियों के फायदों को सुनिश्चित करेगा। यह फ्रेमवर्क, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), प्रधान मंत्री कृषि सिचाई योजना (पीएमकेएसवाई), पहले एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) (अब पीएमकेएसवाई-वाटरशेड डवलपमेंट कम्पोनेंट) और कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (सीएडी एंड डब्ल्यूएम) में तालमेल सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। इन कार्यक्रमों/योजनाओं के तहत किए जाने वाले सामान्य कार्यों में जल संरक्षण और प्रबंधन, जल संचयन, मृदा और नमी संरक्षण, भूजल पुनर्भरण, बाढ़ सुरक्षा, भूमि विकास, कमान क्षेत्र विकास और वाटरशेड प्रबंधन शामिल हैं।<br><br>सीजीडब्ल्यूबी ने ब्रिज सह भंडारा (महाराष्ट्र) जैसी पहल भी की है; आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना के कुछ आकांक्षीजिलों में धारा से हटकर अन्यत्र इकट्ठा हुए जल का उपयुक्त स्थलों पर संचयन हेतु भूजल पुनर्भरण के लिए परियोजनाएं; 8 राज्यों के 9 प्रखंडों में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में पायलट स्टडी के तौर पर कृत्रिम पुनर्भरण अवसंरचना की साइट एवं डिजाइन का चयन); जन संपर्क कार्यक्रम के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी हेतु जनता को प्रेरित करने के लिए जल संरक्षण पर जागरूकता |

| क्र.सं. | सिफारिशें | पैरा सं. | कार्यान्वयन की स्थिति |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | | | लाना, बिहार, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, तेलंगाना,उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल के आदिवासी क्षेत्रों में आउटरीच कार्यक्रम/ कार्यशालाएं एवं जन-जागरूकता कार्यक्रम को मनरेगा के साथ जोड़ना।<br><br>राष्ट्रीय जल मिशन ने टैग लाइन के साथ " कैच द रेन" अभियान की शुरुआत की है "बारिश को पकड़ना, जहां यह गिरता है, जब गिरता है" तो सभी हितधारकों को वर्षा जल संचयन के माध्यम से जल संरक्षण के लिए जागरूक करना है। । इस अभियान के तहत सभी राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों, जिला मजिस्ट्रेटों / जिला कलेक्टरों / उपायुक्तों, रक्षा मंत्रालयों के सचिवों, मानव संसाधन विकास, भारी उद्योगों, विभाग के मुख्य सचिवों को डी.ओ. पत्र जारी किए गए हैं। रक्षा उत्पादन, अध्यक्ष रेलवे बोर्ड, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, भारतीय खेल प्राधिकरण, सीएपीएफ के निदेशक जनरल्स, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, जेएनयू के कुलपति, डीयू, एमईएस के डीजी, एमईएस के ईआईएनसी, सभी आईआईटी और आईआईएम के निदेशक, प्रमुख विश्वविद्यालय आदि।<br><br>इस अभियान का समर्थन गणमान्य लोगों द्वारा किया जाता है जैसे भारत के उपराष्ट्रपति; उपाध्यक्ष, एनआईटीआई आयोग; CEO, नीति आयोग; वरिष्ठ सरकारी अधिकारी; जल विशेषज्ञ - श्री सोनम वांगचुक; डॉ0 अनिल जोशी आदि और प्रभावशाली जैसे श्री रविशंकरजी, श्री गोपी चंद आदि ।<br><br>संबंधित पक्षों के संवेदीकरण के लिए 13.03.2020 को एक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के |

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>सिफारिशें</th><th>पैरा सं.</th><th>कार्यान्वयन की स्थिति</th></tr>
<tr><td>(1)</td><td>(2)</td><td>(3)</td><td>(4)</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>अधिकारी, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के संगठन, NGO आदि शामिल थे। एनजीओ की बैठक को "कैच द रेन" पर एनडब्ल्यूएम के अभियान में उनकी संवेदनशीलता और भागीदारी के लिए 09.03.2020 को आयोजित किया गया था। कैच द रेन पर इंडस्ट्रीज, फिक्की और विश्वविद्यालयों के साथ वेबिनार आयोजित किए गए हैं। पूरे देश में जिला मजिस्ट्रेट / जिला कलेक्टरों / उपायुक्तों के साथ साप्ताहिक वेबिनार आयोजित किए जा रहे हैं</td></tr>
<tr><td>14.</td><td>समिति उस बात को याद दिलाना चाहती है कि यूनियन कैबिनेट ने वर्ष 2018 में तत्कालीन जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के जल प्रस्ताव पर अपनी सहमति जताई थी जिसमें राष्ट्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन में परियोजना लागत की 90 फीसदी केंद्रीय सहायता किए जाने की बात कही गयी थी। राष्ट्रीय परियोजना योजना के तहत अब तक 16 परियोजनाओ का चयन किया गया है। इन 16 राष्ट्रीय परियोजनाओं में पांच परियोजनाओं, पोलावरम सिंचाई परियोजना (आंध्र प्रदेश), सरयू नहर परियोजना (उत्तर प्रदेश), गोसिखुर्द सिंचाई परियोजना (महाराष्ट्र), तीस्ता बेराज प्रोजेक्ट (पश्चिम बंगाल) और शाहपुर कांडी डैम प्रोजेक्ट (पंजाब) पर काम शुरू हो चुकाहै जो निर्माण के विभिन्न चरणों में है। शेष 11 परियोजनाओं का वित्त पोषण संबंधी प्रस्ताव तभी शुरू हो पाएगा जब एक बार परियोजना प्राधिकारियों को सांविधिक मंजूरी समेत सभी अपेक्षित मंजूरी मिल जाए।</td><td>14</td><td>अभी तक की राष्ट्रीय परियोजनाओं (एनपी) जिन्हें निधिकरण हेतु आरंभ किया गया है, के कार्य में वृद्धि को निम्नलिखित सारणी में देखा जा सकता है :-
<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>परियोजना का नाम</th><th>राष्ट्रीय परियोजना के तहत पूर्व में अनुमोदित घटकों का खर्च</th><th>राष्ट्रीय परियोजनाओं के तहत वर्तमान में अनुमोदित घटकों का खर्च</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>पोलावरम</td><td>16010.45 (पीएल 2010-11)</td><td>55548.87 (पीएल 2017-18)#</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>सरयू नहर</td><td>3011.53 (पीएल 2008)</td><td>5803.61 (पीएल 2016)</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>गोसीखुर्द</td><td>4315.96 (पीएल 2007-08)</td><td>12770.09 (पीएल 2012-13)</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>शाहपुर कांडी</td><td>2285.81 (पीएल 2008)</td><td>2715.70 (पीएल 2018)</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>तीस्ता बैराज</td><td>2988.61 (पीएल 2008)</td><td>*</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

| क्र.सं. | सिफारिशें | पैरा सं. | कार्यान्वयन की स्थिति |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | **समिति विभाग के जवाबसे यह नोट करती है कि राष्ट्रीय परियोजना का निर्माण राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है। किसी अन्य सिंचाई परियोजना की तरह इन राष्ट्रीय परियोजनाओं को भी भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनरूद्धार (आर एंड आर) संबंधी मामलों, अपर्याप्त राशि, संविदा संबंधी मामलों, रेलवे हाइवे क्रासिंग्स में देरी, भूवैज्ञानिक स्थान निर्धारण, आदि की समस्याओं का सामना करता है जिससे परियोजनाओं के पूरे होने में अनावश्यक विलंब होता है और परिणामत: लागत प्रभाव काफी बढ़ जाता है।**<br><br>**समिति ने पाया है कि इन परियोजनाओं की लागत में काफी वृद्धि हुई है, यथा पोलावरम सिंचाई परियोजना में जहां उसे राष्ट्रीय परियोजना की श्रेणी में शामिल किए जाने के समय उसकी अनुमानित लागत वर्ष 2005-06 के मूल्य स्तर पर 10,151.04 करोड़ रूपए थी, वहीं इस परियोजना की संशोधित लागत वढ़कर वर्ष 2017-18 के मूल्य स्तर पर 55,549.87 करोड़ रूपए तक जा पहुंची है । इसी तरह अन्य परियोजनाओंकी लागत में भी बेतहाशा वृद्धि हुई है। समिति इन परियोजनाओं की लगातार बढ़ी अत्यधिक लागत से चिन्तित है और यह जानना चाहती है कि परियोजना के समयातीत होने के कारण इसमें अनुमानित लागत की किस अनुपात में वृद्धि हुई है। <u>अत: समिति इस बात की सिफारिश करती है कि विभाग इन परियोजनाओं के अन्तर्निहित सभी समस्याओं के कृतसंकल्प रूप से दूर करने के लिए तत्काल कदम उठाएं जिससे कि इन परियोजनाओं को उनकी निर्धारित</u>** | | # टीएसी द्वारा अनुमोदित के रूप में, लागत रु. 55548.87 करोड़ रु है । हालाँकि, पोलावरम सिंचाई परियोजना की संशोधित लागत अनुमान की सिफारिश करने के लिए जल संसाधन, नदी विकास और गंगा **संरक्षण** विभाग के संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार (JS & FA) की अध्यक्षता में गठित संशोधित लागत समिति (RCC) की रिपोर्ट के अनुसार, 47725.74 करोड़ रुपये की लागत रूप में सिफारिश की गई है। (PL 2017-18)<br>* एलए मुद्दों के कारण परियोजना का विकास 2014-15 से नहीं हो रहा है। उसके बाद से राज्य सरकार ने इस संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है।<br><br>आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने सूचित किया है कि पोलावरम परियोजना के मामले में प्रमुख खर्च पोलावरम 01.01.2014 से लागू न्यू आर एंड आर अधिनियम 2013 है जिससे भूमि अधिग्रहण (एलए) और पुनर्स्थापन एवं पुनर्बहाली (आर एंड आर) के खर्च प्रभावित हुए हैं तथा परियोजना के खर्च में भी जबरदस्त रूप से बढ़ोत्तरी हुई है।<br><br>सरयू नहर और गोसीखुर्द परियोजनाएं पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के अधीन 99 प्राथमिकता वाली परियोजनाओं में से हैं जिन्हें उनके सीएडीडब्ल्यूएम कार्यों सहित पूरा किया जानाहै। इन परियोजनाओं हेतु धन नाबार्ड के माध्यम से लांग टर्म इरिगेशन फंड (एलटीआईएफ) से दिया जा रहा है। इन परियोजनाओं को समयबद्ध अवधि में पूरा करने हेतु अन्य पीएमकेएसवाई प्राथमिकता वाली परियोजनाओं के साथ इनकी भी समय-समय पर निगरानी की जाती है। जैसाकि संबंधित राज्य सरकार ने सूचित किया है, सरयू नहर एवं |

| क्र.सं. | सिफारिशें | पैरा सं. | कार्यान्वयन की स्थिति |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | <u>समय-सीमा में और बिना किसी अतिरिक्त लागत वृद्धि को पूरा किया जा सके</u> | | गोसीखुर्द परियोजना का एआईबीपी कार्य क्रमश: मार्च, 2021 तथा मार्च, 2023 तक पूरी होने की संभावना है।<br>इसके अलावा शाहपुर कांडी परियोजना को 06.12.2018 को संघ के मंत्रिमंडल में अनुमोदनानुसार नाबार्ड के माध्यम से एलटीआईएफ के तहत निधिकरण हेतु आरंभ किया गया है। परियोजना की सक्रिय रूप से निगरानी की जा रही है जिससे कि इसे जून, 2022 तक पूरा किया जा सके। |

**अनुलग्नक-II**

**भारत सरकार**

**जल शक्ति मंत्रालय**

**जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग**

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की स्थायी समिति (17वीं लोक सभा) द्वारा उनकी तीसरी रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण

*******

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>सिफारिशें</th><th>पैरा सं.</th><th>कार्यान्वयन की स्थिति</th></tr>
<tr><td>(1)</td><td>(2)</td><td>(3)</td><td>(4)</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>समिति ने पाया है कि बजट 2020-21 में 8960.39 करोड़ रूपए (शुद्ध) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग को आवंटित किए गए हैं। हालांकि, 8960.39 करोड़ रुपए में से 2675 करोड़ रुपए की राशि को (नाबार्ड) की संभावित देनदारियों को पूरा करने के लिए रखा गया है, इस तरह से 6285.39 करोड़ रुपए का ही केवल प्रभावी बजट आवंटन हुआ है। इसके अलावा, नाबार्ड से 5000 करोड़ रुपए के ऋण लेने की अनुमति विभाग को दी गई है। समिति ने आगे कहा है कि पिछले वित्तीय वर्ष (2019-20) की तुलना में राजस्व हिस्से में 720.59 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है,जबकि, कैपिटल हिस्से के तहत 5.45 करोड़ रुपए की कमी रही है। संक्षेप में,वर्ष 2020-21 की मांग में 715.14 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है।इस पृष्ठभूमि में, समिति को यह जानकारी है कि हर साल, विभाग को आवंटित निधि का सदैव उपयोग होता रहा है। यह देखकर निराशा होती है कि विभाग पिछले चार वर्षों के दौरान बजटीय आवंटन के उपयोग में लगातार पिछड़ता रहा है, अर्थात, वर्ष 2017-18 में 6887 करोड़ रुपए के बीई आवंटन की तुलना में केवल 5313.48</td><td>1</td><td>वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षणविभाग को नाबार्ड ऋण के लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड के माध्यम से वित्त पोषित चिह्नित परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त बजटीय स्रोत जुटाने की अनुमति दी गई थी। कैबिनेट की मंजूरी और योजना डिजाईन के अनुसार इन परियोजनाओं को एलटीआईएफ के माध्यम से वित्त पोषित किया जाना है और इन परियोजनाओं के लिए उपलब्ध बचत के डायवर्जन यदि कोई है तो स्वीकार्य नहीं है। परियोजना का ब्योरा, अनुमोदित ईबीआर और वित्त वर्ष 2019-20 में वास्तविक बढ़ोत्तरी के विवरण को नीचे तालिका में दिया गया है।<br><br>(करोड़ रुपए)<br><table><tr><th>परियोजना</th><th>वि.व. 2019-20 में स्वीकृत ईबीआर</th><th>वि.व. 2019-20 में ईबीआर में बढ़ोत्तरी</th></tr><tr><td>त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के</td><td>4200.00</td><td>1902.77</td></tr></table></td></tr>
</table>

| क्र.सं. | सिफारिशें | पैरा सं. | कार्यान्वयन की स्थिति |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | **करोड़ रुपए का वास्तविक व्यय किया गया। इसके अलावा, वर्ष 2018-19 में 8860 करोड़ रुपए के बीई आवंटन की तुलना में केवल 7422.08 करोड़ रुपए व्यय हुआ। समिति, नाबार्ड से लिए गए 45812.80 करोड़ रुपए के भारी ऋण के बकाया मूलधन और ब्याज भुगतान को लेकर भी चिंतित है। नाबार्ड से ऋण लेने में विभाग की बढ़ती निर्भरता और बजटीय प्रावधानों के साथ ऋण चुकाने की अपर्याप्त क्षमता,स्पष्ट रूप से स्वस्थ प्रवृत्ति नहीं है। हालांकि,समिति ने पाया है कि इस वर्ष, नाबार्ड से 5000 करोड़ रुपए का ऋण लेने की अनुमति दी गई है जो कि पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए प्रावधानों की तुलना मेंकाफी कम है। इसलिए, समिति ने विभाग सेनाबार्ड ऋण के तहत आने वाली परियोजनाओं की अप्रयुक्त राशि के उपयोग की सिफारिश दृढ़ता से की है। समिति आगे सिफारिश करती है कि विभाग को भविष्य में ऋणों से बचने के लिए अपने संसाधनों का विवेकपूर्ण प्रबंधन करना चाहिए।** | | <table><tr><td>तहत हर खेत को पानी-सीएडीडब्ल्यूएम घटक</td><td></td><td></td></tr><tr><td>राजस्थान फीडर-सरहिंद फीडर</td><td>196.00</td><td>0</td></tr><tr><td>पोलावरम सिंचाई परियोजना</td><td>1850.00</td><td>1850.00</td></tr><tr><td>शाहपुर कांडी</td><td>150.00</td><td>60.00</td></tr><tr><td>नार्थ कोयल रिसरवर परियोजना</td><td>336.00</td><td>0.53</td></tr><tr><td>कुल</td><td>6732.00</td><td>3813.30</td></tr></table><br>**टिप्पणी:** मार्च 2020 में, नाबार्ड ने ईबीआर के माध्यम से 932.6057 करोड़ रुपए (एआईबीपी - 764.4167 करोड़ रुपए, सीएडीडब्ल्यूएम - 108.66 करोड़ रुपए, शाहपुर कंडी बांध - 59.529 करोड़ रुपए)की मांग को बढ़ाया है। हालांकि, उस समय बाजार की मौजूदा परिस्थितियों के कारण, निवेशकों रुझान उत्साहजनक नहीं था और नाबार्ड ने यह बताया कि वित्त वर्ष 2019-20 की शेष अवधि के दौरान बाजार से संसाधन जुटाना अपेक्षित नहीं होगा। इस राशि को अपनी देनदारियों के कारण वित्त वर्ष 2020-21 के ऋण कार्यक्रम में शामिल किया गया है।<br><br>जहां तक नाबार्ड ऋणों के तहत लाई गई परियोजनाओं में उपयोग न की गई राशि कासंबंध है तो राज्य/परियोजना प्राधिकरण में उपलब्ध पिछली रिलीज में खर्च न की गई शेष राशि और नई राशि जारी करते समय |

| क्र.सं. | सिफारिशें | पैरा सं. | कार्यान्वयन की स्थिति |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | | | यूटीलाईजेशन प्रमाण पत्र देने में इस तथ्य को विधिवत लिया गया है।<br><br>एलटीआईएफ के तहत नाबार्ड ऋण को चिह्नित परियोजनाओं की वास्तविक रिलीज तक सीमित रखा गया है, जिन्हें परियोजनाओं की वास्तविक और वित्तीय प्रगति के अनुसार विनियमित किया जाता है। समिति द्वारा विभाग के संसाधनों का अधिक विवेकपूर्ण प्रबंधन की सिफारिश को नोट किया गया है। |
| 2. | **समिति ने पाया है कि यद्यपि जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के बजटीय आवंटन में, वर्ष 2019-20 को छोड़कर, पिछले चार वित्तीय वर्षों के दौरान, वर्ष 2017-18 में 6887 करोड़ रु., वर्ष 2020-21 में 8960.39 करोड़ रुपए की लगातार वृद्धि हुई है।मंत्रालय के प्रतिनिधि बजटीय आवंटन से संतुष्ट नहीं थे। समिति ने आगे कहा है कि वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान,विभाग के लिए प्रारंभिक मध्यम अवधि व्यय फ्रेमवर्क (एमटीईएफ) 10238.61 करोड़ रुपए तक सीमित था। हालांकि, विभाग को प्रदान किया गया वास्तविक एमटीईएफ सिर्फ 8960.39 करोड़ रुपए का था। यह एक निर्विवाद तथ्य है कि देश में जल क्षेत्र की चुनौतियां बहुतअधिक हैं, हालांकि, सापेक्ष रूप से, मंत्रालय का बजटीय आवंटन पर्याप्त नहीं माना जा सकता। कम बजटीय आवंटन के लिए प्राथमिक कारण यह है कि 'जल' एक राज्य का विषय है, मुख्य रूप से जल संसाधनों का संवर्धन, संरक्षण और कुशल प्रबंधन प्रमुख रूप से राज्यों की जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार की भूमिका तकनीकी सहयोग, सलाह देने, उत्प्रेरक और प्रोत्साहित करने की रहती है, जो जल शक्ति मंत्रालय (जल संसाधन, नदी विकास** | 2 | बीई 2019-20 में 8245.25 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। आरई स्तर पर यह घटकर 7518.21 करोड़ रुपए हो गया। कोविड महामारी से उत्पन्न अवरोधों के बावजूद, विभाग 7416.28 करोड़ रुपए (विनियोग खातों के संभावित लंबित मामलों को अंतिम रुप दिए जाना) का उपयोग करने में सक्षम रहा। यह आरई स्तर के आबंटन का 99% उपयोग है और बीई स्तर के आवंटन का 90% उपयोग है।<br><br>वित्त वर्ष 2018-19 में 8860 करोड़ के बीई आवंटन और 7612.52 करोड़ की आरई सीलिंग से तुलना करने पर पता चलता है कि 7422.08 करोड़ रुपए का व्यय किया गया था। यह आरई स्तर के आवंटन का 97% और बीई स्तर के आवंटन का 84% उपयोग था।<br><br>विभाग के बजटीय संसाधनों को आरई स्तर पर बढ़ाने का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाएगा।<br><br>बीई - बजट अनुमान<br><br>आरई - संशोधित अनुमान |

| क्र.सं. | सिफारिशें | पैरा सं. | कार्यान्वयन की स्थिति |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | और गंगा संरक्षण विभाग) के कम बजटीय आवंटन का एक निर्धारित कारक है। इस निर्णायक समय पर, जब केंद्र सरकार ने 'जल' के विषय को एक अभूतपूर्व मिशन मोड में शुरु किया हैतो समिति को लगता है कि केंद्र सरकार द्वारा केवल सहयोग करना पर्याप्त नहीं होगा बल्किदेश के पर्यावरण को बनाए रखने और सतत आर्थिक विकास के लिए सरकार को 'एकीकृत जल प्रबंधन' में अपनी सक्रिय भूमिका निभानी होगी। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि विभाग को अपने कमान क्षेत्र के संसाधनों का पूरी तरह से अधिकतम उपयोग करने के सभी प्रयास करने चाहिए और इस क्षेत्र में राज्यों और संघ शासित राज्यों के प्रयासों को पूरा करने में एक उत्प्रेरक की भूमिका निभानी चाहिए। केवल बजटीय आवंटन के पूर्ण और प्रभावी उपयोग से हीविभाग वास्तविक मायनों में, अपने बजटीय आवंटन को बढ़ाने के अपने प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय के समक्ष जोरदार ढंग से पेश कर सकता है, जिसके परिणामस्वरूप नाबार्ड से ऋण लेने की निर्भरता में कमी आएगी और संसाधन वाले राज्यों में केंद्र सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने में मदद मिलेगी। | | |
| 3. | समिति को इस बात को देखकर गंभीर चिंता है कि वर्ष 2001 और 2011 में औसत वार्षिक प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता का आकलन क्रमशः 1816 घन मीटर और 1545 घन मीटर किया गया था, जल की यह उपलब्धता 2025 और 2050 में घटकर क्रमश: 1340 और 1140 घन मीटर तक जा सकती है। समिति ने देखा है कि प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता में लगातार होने | 3 | सिफारिश को नोट कर लिया गया है। विभाग इन पहलों को लागू करने/इन्हें निष्पादित करने और अधिकतम आउटपुट और परिणामों को हासिल करने के लिए जोरदार प्रयास कर रहा है। इन पहलों के तहत वर्तमान स्थिति का एक संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है।<br><br>**राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी)** |

| क्र.सं. | सिफारिशें | पैरा सं. | कार्यान्वयन की स्थिति |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | **वाली कमी का प्रमुख कारण देश की बढ़ती जनसंख्या है। जल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 1951 में 5177 घन मीटर/वर्ष से घटकर 2011 में 1545 घन मीटर/वर्ष हो गई है। देश में सबसे में ज्यादा जल का उपयोग कृषि क्षेत्र में होता है, इसके बाद घरेलू और औद्योगिक क्षेत्र आते हैं। समिति ने आगे देखा है कि विभाग ने प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता बढ़ाने के लिए जल शक्ति अभियान शुरू करना, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) तैयार करना, राष्ट्रीय एक्विफर मैपिंग और प्रबंधन (एनएक्यूयूआईएम) इत्यादि को लागू करने जैसे कई कदम उठाए हैं। इस कालक्रम में, सरकार ने अटल भू-जल योजना (अटल जल) को भी शुरू किया है, जो एक केंद्र क्षेत्र की योजना है जिसमें भूजल के सतत प्रबंधन के उद्देश्य को ध्यान में रखकर सामुदायिक भागीदारी और मांग पक्ष के कार्यों पर जोर दिया जाता है। इस संबंध में विभाग के नवीन प्रयासों की सराहना करते हुए समिति इन योजनाओं और कार्यक्रमों के तेजी से क्रियान्वयन की आवश्यकता पर जोर देना देना चाहती है जिससे कि इसका लाभ ज़मीनी स्तर पर पहुंचाया जा सके।** | | जल संसाधन विकास के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी)कोअगस्त 1980 में तत्कालीन सिंचाई मंत्रालय (अब जल शक्ति मंत्रालय) द्वारा अंतर बेसिन स्थानांतरण के माध्यम से जल की अधिकता वाले बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिन तक जल पहुंचाने के लिए तैयार किया गया था। एनपीपी के तहत, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (एनडब्ल्यूडीए) ने व्यवहार्यता रिपोर्ट (एफआर) को तैयार करने के लिए 30 लिंकों (प्रायद्वीपीय घटक के तहत 16 और हिमालयी घटक के तहत 14) की पहचान की है।<br><br>एनपीपी के तहत, प्रायद्वीपीय नदी घटक के तहत चार प्राथमिकता वाले लिंकों अर्थात केन-बेतवा लिंक परियोजना, दमनगंगा-पिंजल लिंक परियोजना, पार-तापी-नर्मदा लिंक परियोजना और गोदावरी-कावेरी लिंक परियोजना को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए भी चिह्नित किया गया है; संबंधित राज्यों की सहमति के आधार पर, केबीएलपी, दमनगंगा-पिंजाल लिंक परियोजना और पार-तापी-नर्मदा लिंक परियोजना की डीपीआर को पूरा कर संबंधित राज्यों को भेज दिया गया है।<br><br>इसके अलावा, गोदावरी-कावेरी लिंक परियोजना जिसमें तीन लिंक अर्थात गोदावरी (इंचमपल्ली/ जनमपेट) - कृष्णा (नागार्जुनसागर), कृष्णा (नागार्जुनसागर) - पेन्नार (सोमाशिला), पेन्नार (सोमाशिला) -कावेरी (ग्रैंड अनीकट) लिंक परियोजनाएं शामिल हैंइनका मसौदा डीपीआर पूरा हो चुका है जिसे मार्च 2019 में पार्टी राज्यों को परिचालित किया गया।<br><br>सरकार परामर्शी तरीके से नदियों को परस्पर जोड़ने के कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता दे रही है। नदी जोड़ कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग (अब जल शक्ति मंत्रालय) के माननीय |

| क्र.सं. | सिफारिशें | पैरा सं. | कार्यान्वयन की स्थिति |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | | | मंत्री की अध्यक्षता में सितंबर 2014 में "नदियों को परस्पर जोड़ने के लिए एक विशेष समिति" का गठन किया गया है। नदी जोड़ की विशेष समिति की अब तक सत्रह बैठकें (अंतिम बैठक 26.02.2020 को आयोजित) हो चुकी हैं। इसके अलावा, अप्रैल, 2015 में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय (अब जल शक्ति मंत्रालय) द्वारा नदियों को परस्पर जोड़ने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। अब तक नदियों को आपस में जोड़ने के लिए टास्क फोर्स की बारह बैठकें हो चुकी हैं और अंतिम बैठक 16.07.2020 को आयोजित की गई थी। वैकल्पिक योजनाओं के विकास के साथ सहमति बनाने और परिपक्व परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए रोड मैप तैयार करने के निरंतर प्रयास किए गए हैं।<br><br>परस्पर नदी जोड़ परियोजनाओं के माध्यम से जल के प्रस्तावित जल अंतरण से देश में उपयोग योग्य जल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता बढ़ सकती है।<br><br>**राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा की गईं पहलें**<br><br>बढ़ती जनसंख्या, तेजी से हो रहा शहरीकरण, बदलती जीवन शैली, बढ़ता औद्योगिकीकरण, अपर्याप्त वर्षा और कृषि में जल का अविवेकपूर्ण उपयोग के साथ-साथ उद्योगिक क्षेत्र भी देश में भूजल की मात्रा में तेज गिरावट और प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता में गिरावट के कारण रहे हैं। एनडब्ल्यूएम ने, मांग संबंधी मुद्दों को पूरा करने के लिए कई कदम उठाए हैं।<br><br>क) सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया गया है कि प्रत्येक परिसर में नलकूपों, जैसे कि खोदे गए कुओं, बोरवेलों, ट्रेंचों के रिचार्ज, गड्ढों के रिचार्जआदि में वर्षा जल संचयन संरचनाओं में टैपों में जल की बचत करने वाले एयररेटर स्थापित किए जाएं जिससे |

| क्र.सं. | सिफारिशें | पैरा सं. | कार्यान्वयन की स्थिति |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | | | वर्षा जल का संचयन और भूजल एक्वीफर्स का रिचार्ज सुनिश्चित हो सके।<br><br>ख) राज्यों को बिना विलंब"अगली वर्षा का लाभ" लेनेकी प्रक्रिया शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभागकी अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालयी बैठक हुई। राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे वर्षा जल संचयन संरचनाओं (आरडब्ल्यूएचएस) का निर्माण सुनिश्चित करें ताकि अगले मानसून की शुरुआत से पहले सभी सरकारी, अर्ध-सरकारी और कारपोरेट प्रतिष्ठानों के छत के ऊपर और खुले मैदानों में वर्षा जल का संचयन किया जा सके।<br><br>ग)'सही फ़सल': राष्ट्रीय जल मिशन ने भारतीय कृषि को एक ऐसी दिशा में प्रेरित करने के लिए "सही फ़सल" एक अभियान शुरू किया है जो मकई, मक्का, आदि जैसे जल-कुशल फसलों को बढ़ावा देता है, इसमें पोषण की गुणवत्ता होती है और यह किसानों के लिए आर्थिक रूप से लाभदायक है। सूक्ष्म सिंचाई, मिट्टी की नमी पर बातचीत, और नीति निर्धारण के लिए नीति निर्माताओं के बीच संवाद शुरू करने, आदानों (पानी और बिजली) के प्रभावी मूल्य निर्धारण के बारे में जागरूकता पैदा करना "सही फ़सल" की अवधारणा को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। **"सही फसल"** अभियान की प्रमुख विशेषताओं में नीति निर्माताओं को इन वैकल्पिक फसलों के (जल और विद्युत) के प्रभावी इनपुट, खरीद और बाजार पर नीति निर्माण में सहायता करना, इनके भंडारण इत्यादि की उचित व्यवस्था करना शामिल है जिससे अंतत: किसानों की आय में बढोतरी होती है।<br><br>**"सही फसल"** के तहत कार्यशाला की श्रृंखला - राष्ट्रीय जल मिशन ने दिनांक 14.11.2019 को अमृतसर में, 13.01.2020 पर औरंगाबाद में, |

| क्र.सं. | सिफारिशें | पैरा सं. | कार्यान्वयन की स्थिति |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | | | 26-27.11.2019 को नई दिल्ली में और 14.02.2020 को कुरुक्षेत्र में **"सही फसल"** पर पर कार्यशालाओं का आयोजन किया है, जहां किसानों ने उत्साह से भाग लिया। पंजाब और हरियाणा ने फसल विविधीकरण के लिए कदम उठाए हैं।<br><br>घ) राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में सिंचाई, उद्योग, घरेलू और अपशिष्ट जल को कवर करने वाले जल के क्षेत्र में राज्य विशिष्ट कार्य योजनाओं (एसएसएपी) को तैयार करने के लिए बड़े राज्यों में 50 लाख रूपए और छोटे राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में 30 लाख रूपए का अनुदान, वित्तीय सहायताके रूप में प्रदान किया जाता है। राज्य विशिष्ट कार्य योजनाओं (एसएसएपी) की तैयारी के लिए 28 राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। पांच राज्यों (अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल) ने एसएसएपी के पहले चरण को पूरा कर लिया है।<br><br>ङ) सिंचाई क्षेत्र में जल उपयोग की दक्षता में सुधार के लिए आधारभूत अध्ययन किए गए हैं और जल और भूमि प्रबंधन के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्रीय संस्थान (नेरीवलम - तेजपुर) को - 5 अध्ययन, जल और भूमि प्रबंधन प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान - हैदराबाद को - 10 अध्ययन, जल और भूमि प्रबंधन संस्थान - औरंगाबाद को - 6 अध्ययन और जल संसाधन विकास और प्रबंधन केंद्र -केरल को - 5 अध्ययन दिए गए हैं।<br><br>च) पंचायती राज संस्थानों, शहरी स्थानीय निकायों और जल उपयोगकर्ता संघों के विभिन्न हितधारकों की क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण दिया जाना।<br><br>छ) एक संगोष्ठी श्रृंखला - "वाटर टॉक" - जल से संबंधित विषयों पर प्रतिभागियों के बीच संवाद |

| क्र.सं. | सिफारिशें | पैरा सं. | कार्यान्वयन की स्थिति |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | | | और सूचना साझा करने को बढ़ावा देने के लिए इस संगोष्ठी का आयोजन किया गया है जिससे प्रतिभागियों के बीच जागरूकता बढ़ाने के साथक्षमता निर्माण और जल संरक्षण तथा जल की बचत में भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा सके। अब तक 16 जल चर्चाएंआयोजित की जा चुकी हैं।<br><br>ज) राष्ट्रीय जल मिशन पुरस्कारों की शुरूआत जल संरक्षण, जल के कुशल उपयोग और सतत जल प्रबंधन प्रणालियों में उत्कृष्टता को पहचान देने के लिए की गई थी। प्रथम राष्ट्रीय जल मिशन पुरस्कारका आयोजन 25 सितंबर, 2019 को किया गया था, आयोजन के दौरान 22 विजेताओं को विभिन्न श्रेणियों में सम्मानित किया गया था।<br><br>झ) राष्ट्रीय जल मिशन ने टैग लाइन के साथ " कैच द रेन" अभियान की शुरुआत की है "बारिश को पकड़ना, जहां यह गिरता है, जब गिरता है" तो सभी हितधारकों को वर्षा जल संचयन के माध्यम से जल संरक्षण के लिए जागरूक करना है। । इस अभियान के तहत सभी राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों, जिला मजिस्ट्रेटों / जिला कलेक्टरों / उपायुक्तों, रक्षा मंत्रालयों के सचिवों, मानव संसाधन विकास, भारी उद्योगों, विभाग के मुख्य सचिवों को डी.ओ. पत्र जारी किए गए हैं। रक्षा उत्पादन, अध्यक्ष रेलवे बोर्ड, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, भारतीय खेल प्राधिकरण, सीएपीएफ के निदेशक जनरल्स, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, जेएनयू के कुलपति, डीयू, एमईएस के डीजी, एमईएस के ईआईएनसी, सभी आईआईटी और आईआईएम के निदेशक, प्रमुख विश्वविद्यालय आदि। माननीय जल शक्ति मंत्री ने माननीय गृह मंत्री; रक्षा मंत्री; और एचआरडी मंत्री को पत्र लिखे और सभी राज्यों के |

| क्र.सं. | सिफारिशें | पैरा सं. | कार्यान्वयन की स्थिति |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | | | मुख्यमंत्रियों से इस अभियान में उनके सहयोग की मांग की।<br><br>इस अभियान का समर्थन गणमान्य लोगों द्वारा किया जाता है जैसे भारत के उपराष्ट्रपति; उपाध्यक्ष, एनआईटीआई आयोग; CEO, नीति आयोग; वरिष्ठ सरकारी अधिकारी; जल विशेषज्ञ - श्री सोनम वांगचुक; डॉ0 अनिल जोशी आदि और प्रभावशाली जैसे श्री रविशंकरजी, श्री गोपी चंद आदि ।<br><br>संबंधित पक्षों के संवेदीकरण के लिए 13.03.2020 को एक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारी, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा **संरक्षण** विभाग के संगठन, NGO आदि शामिल थे। एनजीओ की बैठक को "कैच द रेन" पर एनडब्ल्यूएम के अभियान में उनकी संवेदनशीलता और भागीदारी के लिए 09.03.2020 को आयोजित किया गया था। कैच द रेन पर इंडस्ट्रीज, फिक्की और विश्वविद्यालयों के साथ वेबिनार आयोजित किए गए हैं। पूरे देश में जिला मजिस्ट्रेट / जिला कलेक्टरों / उपायुक्तों के साथ साप्ताहिक वेबिनार आयोजित किए जा रहे हैं<br><br>**नेशनल एक्विफर मैपिंग एंड मैनेजमेंट**<br><br>राष्ट्रीय एक्विफर मैपिंग और प्रबंधन कार्यक्रम 2012 में शुरू किया गया था। मार्च 2020 के अंत तक, देश के 25 लाख वर्ग कि.मी के मैप्पेबल क्षेत्रफल का लगभग 13 लाख वर्ग कि.मी को कवर कर लिया गया है। कवरेज में तेजी लाने के प्रयास में, ~ 12 लाख वर्ग कि.मी |

| क्र.सं. | सिफारिशें | पैरा सं. | कार्यान्वयन की स्थिति |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | | | के शेष क्षेत्रफल को तीन सालों (2020-23) में कवर किए जाने की परिकल्पना की गई है।<br><br>**<u>अटल भू-जल योजना</u>**<br><br>अटल भूजल योजना को 01-04-2020 से शुरू किया गया है। इस योजना को सात राज्यों में कार्यान्वित किया जाना है - गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। इन राज्यों में 78 जिलों की लगभग 8350 ग्राम पंचायतों को योजना के कार्यान्वयन का लाभ मिलने की उम्मीद है। अटल भू-जल पंचायत की अगुवाई में मांग पक्ष प्रबंधन पर प्राथमिक ध्यान देने के साथ भूजल प्रबंधन और व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देगा।<br><br>६००० करोड़ रुपये के कुल परिव्यय, जो कि 5 साल की अवधि (२०२०-२१ से २०२४-२५) में लागू किया जाएगा, इसमें से विश्व बैंक के ऋण के रूप में ५०%, केंद्र सरकार द्वारा चुकाया जाएगा। शेष 50% नियमित बजटीय सहायता से केंद्रीय सहायता के माध्यम से होगा। पूरे विश्व बैंक के ऋण घटक और केंद्रीय सहायता को अनुदान के रूप में राज्यों को पारित किया जाएगा |
| 4. | **समिति का मानना है कि एक महत्वपूर्ण और घटते प्राकृतिक संसाधन के रूप में 'जल' की सुरक्षा, संरक्षण, विनियमन और प्रबंधन के सिद्धांतों के आधार पर समग्र राष्ट्रीय विधिक फ्रेमवर्क का उपबंध करने हेतु मंत्रालय द्वारा तैयार प्रारूप राष्ट्रीय जल फ्रेमवर्क विधेयक, 2016 का निरूपण किया गया है, जिससे जल के संबंध में शासन के सभी स्तरों पर कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई की जा सकती है। विधेयक को राज्यों की राय लेने हेतु भेजा गया था। कुछ राज्यों जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड ने कुछ सुझावों/टिप्पणियों के साथ** | 4 | जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग नियमित रूप से राज्य सरकारों को राष्ट्रीय जल फ्रेमवर्क विधेयक के शीघ्र अधिनियमन के लिए उनके सहयोग की मांग करता रहा है। केंद्र और राज्य के बीच संवेदनशील संतुलन को बनाए रखते हुए विधेयक को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। हालांकि, समिति द्वारा की गई सिफारिश में कहा गया है कि विभाग फिर से राज्यों से उनके विचारों को शीघ्रता से प्रस्तुत करने का आग्रह करेगा ताकि उनकी आशंकाओं को प्रभावी ढंग से दूर किया जा सके। |

| क्र.सं. | सिफारिशें | पैरा सं. | कार्यान्वयन की स्थिति |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | विधेयक का समर्थन किया है। तथापि, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, पंजाब, ओडिशा और बिहार की राज्य सरकारें प्रारूप विधेयक के पक्ष में नहीं हैं क्योंकि उनका मानना है कि उक्त विधेयक राज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण करेगा। इस विधेयक पर उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली और लक्षद्वीप में जांच चल रही है। समिति इस बात से अवगत है कि जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग राष्ट्रीय जल फ्रेमवर्क विधेयक के यथाशीघ्र अधिनियमन के लिए राज्य सरकारों के सहयोग हेतु इन मामलों को लगातार उनके साथ उठा रहा है। चूंकि राज्य सरकारों के साथ दीर्घकालिक विचार-विमर्श कोई भी ठोस निष्कर्ष नहीं निकला है,समिति का यह विचार है कि विभाग को इस बात के लिए राज्यों को कहना चाहिए कि वे अपने राज्यों की भौगोलिक सीमाओं से बाहर जाकर देश के समस्त नागरिकों के हित में उनकी आशंकाओं/पूर्वाग्रहों को दूर करें ताकि ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक को यथाशीघ्र अधिनियमित और लागू किया जा सके। | | |
| 5. | समिति पाती है कि भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2014-15 से 31.12.2020 तक 20,000 करोड़ रुपए केकुल बजट परिव्यय के साथ राष्ट्रीय गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों के प्रदूषण के प्रभावी उपशमन और इसके संरक्षण के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू किया है। समिति आगे नोट करती है कि नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत 28,909.59 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से अब तक कुल 310 | 5 | 31 जुलाई, 2020 तक, विभिन्न गतिविधियों जैसे सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, घाटों और श्मशान, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, रिवर सरफेस क्लीनिंग, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, बायोडायवर्सिटी प्रोटेक्शन, वनीकरण और ग्रामीण स्वच्छता जैसे विभिन्न गतिविधियों के लिए कुल 315 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। रु. 28854 करोड़ की कुल लागत, 132 परियोजनाएँ पूरी हो चुकी हैं और शेष परियोजनाओं के निष्पादन और निविदा के विभिन्न चरणों में हैं। अब तक पूर्ण और प्रगति परियोजना के तहत व्यय 9066 |

| क्र.सं. | सिफारिशें | पैरा सं. | कार्यान्वयन की स्थिति |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | **परियोजनाओं को मंजूर किया गया है, जिनमें से 114 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैंजो प्रचालन के लिए तैयार हैंतथा शेष परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। इसके अलावा, 310 परियोजनाओं में से 152 परियोजनाएं जलमल अवसंरचनाओं से संबंधित हैं। तथापि, इनमें से केवल 46 परियोजनाएं ही पूरी की गई हैं। महत्वकांक्षी नमामि गंगे कार्यक्रम की सराहना करते हुए, जिसका उद्देश्य दिसंबर 2020 तक गंगा नदी को साफ तथा इसका कायाकल्प करना है, समिति यह नोट कर के चिंतित है कि यह कार्यक्रम पूर्व निर्धारित समयसीमा का अनुपालन करने में विफल रहा है। समिति आगे यह नोट करती है कि गंगा नदी (कायाकल्प, संरक्षण और प्रबंधन) प्राधिकरण आदेश 2016, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तीव्रता लाने संबंधी शक्तियां प्रदान करता है। इस आदेश का संज्ञान लेते हुए समिति आशा करती है कि बिना किसी विलंब के इस परियोजना को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा।** | | करोड़ रुपये है। कुल 151 सीवरेज सेक्टर परियोजनाओं में से, 2017 के बाद से एनएमसीजी को एक प्राधिकरण के रूप में अधिसूचित करने और उपयुक्त संस्थागत सुदृढ़ीकरण के बाद 95 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। 2014 में 462 एमएलडी के लिए 28 परियोजनाओं के मुकाबले, पिछले वर्षों में 4412 एमएलडी की क्षमता सृजन के लिए 123 सीवेज परियोजनाओं के अलावा कई गुना वृद्धि हुई है।<br><br>वर्ष 2019-20 में, 21 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी और 34 परियोजनाओं को पूरा किया गया, जिसमें 14 सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं शामिल हैं। वित्त वर्ष 19-20 में कुल व्यय 2,673.09 करोड़ रुपए था।<br><br>मौजूदा समय में, 72 सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं और 25 परियोजनाएं के लिए निविदा की प्रक्रिया चल रही है। यह उम्मीद की जाती है कि वर्ष 2020-21 में, लगभग 42 परियोजनाएं पूरी हो सकती हैं और चालू वर्ष में अकेले सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अनुमानित व्यय 2,500 करोड़ रुपए हो सकता है। जिसकी तुलना (वित्त वर्ष 19-20 में) पूरे एनएमसीजी परियोजनाओं के 2,673 करोड़ रुपए के व्यय के साथ की जा सकती है।<br><br>हालांकि, कोविड-19 और इसके परिणामस्वरूप होने वाले लॉकडाउन ने वर्तमान महामारी की स्थिति में सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं सहित विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति को धीमा कर दिया है। 20 अप्रैल 2020 से निर्माण कार्य को अनुमति दी गई है, लेकिन अपर्याप्त श्रमिकों के कारण साइट पूरी तरह से कार्यात्मक नहीं हो पा रहीं हैं। आशा है कि 2020 की पहली छमाही के अंत तक ही काम पूरी तरह से बहाल हो सकता है। इसलिए, इस वर्ष की |

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>सिफारिशें</th><th>पैरा सं.</th><th>कार्यान्वयन की स्थिति</th></tr>
<tr><td>(1)</td><td>(2)</td><td>(3)</td><td>(4)</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>पहली दो तिमाहियों में प्रगति में कुछ कमी हो सकती है, लेकिन राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा निरंतर निगरानी और निष्पादन एजेंसियों के ठोस प्रयासों से अनुमानित प्रगति हासिल की जा सकती है और परियोजनाएं समयबद्ध तरीके से पूरी हो सकती हैं।<br><br>एनएमसीजी के तहत आने वाली परियोजनाओं का विवरण तालिका -1 में दिया गया है।<br><br>तालिका-1
<table>
<tr><th>वर्ष</th><th>स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या</th><th>स्वीकृत लागत (करोड़ रु.)</th><th>पूरी हुई परियोजनाओं की संख्या</th></tr>
<tr><td>मार्च, 2014 तक</td><td>72</td><td>4,608</td><td>16</td></tr>
<tr><td>2014-15</td><td>21</td><td>3,184</td><td>10</td></tr>
<tr><td>2015-16</td><td>7</td><td>584</td><td>2</td></tr>
<tr><td>2016-17</td><td>60</td><td>2,678</td><td>11</td></tr>
<tr><td>2017-18</td><td>40</td><td>9,547</td><td>10</td></tr>
<tr><td>2018-19</td><td>92</td><td>7,781</td><td>39</td></tr>
<tr><td>2019-20</td><td>21</td><td>584.5</td><td>34</td></tr>
<tr><td>2020-21*</td><td>2</td><td>-112.4</td><td>10</td></tr>
<tr><td>कुल</td><td>315</td><td>28854</td><td>132</td></tr>
</table>
<br>विगत वर्षों में नमामि गंगे के अंतर्गत वित्तीय प्रगति का विवरण तालिका-2 पर नीचे दिया गया है।</td></tr>
</table>

| क्र.सं. | सिफारिशें | पैरा सं. | कार्यान्वयन की स्थिति |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | | | **तालिका-2**<br><table><tr><td>वर्ष</td><td>एनएमसीजी द्वारा दी गई राशि (करोड़ रुपए)</td></tr><tr><td>2014-15</td><td>170.99</td></tr><tr><td>2015-16</td><td>602.60</td></tr><tr><td>2016-17</td><td>1062.81</td></tr><tr><td>2017-18</td><td>1625.01</td></tr><tr><td>2018-19</td><td>2626.54</td></tr><tr><td>2019-20</td><td>2673.09</td></tr><tr><td>2020-21*</td><td>154.16</td></tr><tr><td>कुल</td><td>8915.20</td></tr></table>*31 जुलाई 2020 तक |
| 6. | **समिति पाती है कि राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना - अन्य बेसिन संबंधी योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों से गंगा बेसिन से इतर परियोजना के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और नगरों की विभिन्न नदियों के लिए प्रदूषण उपशमन संबंधी कार्य करने के लिए उनका वित्त पोषण किया जा रहा है और योजना दिशानिर्देशों, प्रदूषण की स्थिति, प्राथमिकता, स्वतंत्र संस्थाओं द्वारा मूल्यांकन और योजना निधियों की उपलब्धता के अनुरूप लागत सहभागिता के आधार पर वित्तीय सहायता के लिए इस पर विचार किया जाता है। समिति आगे नोट करती है कि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए एनआरसीपी-अन्य बेसिन के लिए 220 करोड़ रुपए की राशि निहित की गई है जो कि गंगा नदी के लिए निर्धारित किए** | 6 | राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी)-अन्य बेसिनों के तहत देश में दस चुने गए प्रदूषित नदी खंडों में संघटित तरीके से नदियों के पुनरुद्धार और संरक्षण के लिए विभाग द्वारा 8117 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय का प्रस्ताव कैबिनेट से मंजूरी लेने के लिए शुरू किया था। व्यय वित्त समिति (ईएफसी) के माध्यम से प्रस्ताव को रूट करने के लिए इन-पुट और सलाह के आधार पर, 10 वर्षों की अवधि में कार्यान्वयन के लिए 35640 करोड़ रुपए की योजना वाला एक ड्रॉफ्टईएफसी नोट तैयार किया गया है जिस पर परामर्श किया जा रहा है।<br><br>ईएफसी के अनुमोदन के बाद, अनुमोदित प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा, जिसके आधार पर वित्त मंत्रालय से धन का उपयुक्त आवंटन मांगा जाएगा। |

| क्र.सं. | सिफारिशें | पैरा सं. | कार्यान्वयन की स्थिति |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | गए 1640.02 करोड़ रुपए के बजट आबंटन की तुलना में काफी कम राशि है। समिति को विभाग के उत्तर से जानकारी मिली है कि संशोधित योजना के अनुमोदन के पश्चात इस योजना के तहत अधिक आबंटन की मांग की जाएगी। समिति इस योजना हेतु इतनी कम राशि के आवंटन से प्रसन्न नहीं है। अत: समिति यह सिफारिश करती है कि संशोधित योजना के लिए अनुमोदन प्राप्त करने हेतु सम्मिलित प्रयास यथाशीघ्र किए जाने चाहिए ताकि देश की अन्य प्रमुख नदियां जो गंगा नदी के समान प्रदूषित हैं और जिनके लिए अधिक आवंटन किया जा सके। | | |
| 7. | समिति नोट करती है किसी डब्ल्यू.सी. को संबंधित राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके कार्य शुरू करने, समन्वित करने और उसे आगे बढ़ाने की सामान्य जिम्मेदारियों के साथ बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, पेयजल आपूर्ति और जल विद्युत विकास के उद्देश्य हेतु पूरे देश में जल संसाधन के नियंत्रण, संरक्षण और उपयोग करने की योजनाओं का सामान्य दायित्व सौंपा गया है। समिति यह भी नोट करती है कि मिहिर शाह समिति रिपोर्ट में केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) और केन्द्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) की पुनर्संरचना करने के साथ-साथ राष्ट्रीय जल आयोग (एनडब्ल्यूसी) के रूप में एक नया एकीकृत आयोग सृजित करने का सुझाव दिया गया। इस अभिप्रेत उद्देश्य के लिए, विभाग ने भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), अहमदाबाद को समामेलन प्रक्रिया का सुझाव देने के लिए तथा नए संगठन के लिए एक संरचना का सुझाव देने हेतु एक परामर्शदाता, के रूप में प्रवृत्त किया था, जिसने संयोग से अपनी रिपोर्ट सितम्बर, | 7 | डॉ.मिहिर शाह समिति की रिपोर्ट के कार्यान्वयन को तेजी से कार्यान्वित करने के संबंध में स्थायी समिति की टिप्पणियां विभाग द्वारा नोट कर ली गई हैं। उक्त रिपोर्ट में उल्लिखित उद्देश्यों की तर्ज पर संबद्ध कार्यालय के सचिवालय स्तर के साथ इस विभाग को तकनीकी आयोजना और नीति के रूप में "राष्ट्रीय जल आयोग" (एनडब्ल्यूसी) के रूप में एक नया उद्यम सृजित करने के लिए केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) और केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) जैसे संगठनों को मिलाने का प्रस्ताव है।<br><br>एनडब्ल्यूसी प्रत्येक नदी बेसिन सहित नीति मामलों पर विभाग और सभी स्टेकहोल्डरों की परियोजना अनुमोदन और मूल्यांकन के साथ तकनीकी सहायता के लिए भी जिम्मेदार है। एनडब्ल्यूसी की अध्यक्षता अध्यक्ष जो कि भारत सरकार के सचिव के समकक्ष का अधिकारी होगा, द्वारा प्रस्तावित है और प्रत्येक मुख्य नदी बेसिन सदस्य जो कि भारत सरकार के अपर सचिव के अधिकारी के समकक्ष होगा, के समग्र प्रभार के तहत प्रस्तावित है। स्थापना व्यय समिति (सीईई) के लिए एक प्रस्ताव इस उद्देश्य |

| क्र.सं. | सिफारिशें | पैरा सं. | कार्यान्वयन की स्थिति |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | **2018 में प्रस्तुत की थी। इस के अलावा, इस विभाग ने सीडब्ल्यूसी और सीजीडब्ल्यूबी के पदों को एकीकृत करने का सुझाव देने के लिए वर्ष 2018 में एक कार्यकारी समूह भी स्थापित किया था। एनडब्ल्यूसी के सृजन में अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकताएं, नए अवसंरचनात्मक ढांचे का सृजन, नई सेवाएं और अतिरिक्त पदों जिस में केन्द्रीय मंत्रिमंडल से अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता है, के सृजन शामिल है। इस विभाग ने समिति को यह भी बताया है कि चूंकि इस प्रक्रिया में विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों से परामर्श किया जाना और नोडल मंत्रालयों तथा सीईई का अनुमोदन/सिफारिश शामिल है। अत: इस संबंध में कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। समिति का यह विचार है कि केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) और केन्द्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) का विलय जैसे मुख्य सुधारों को लाने के संदर्भ में सतह और भूजल प्रबंधन में एक प्रतिमान बदलाव अपेक्षित है। चूंकि विचार-विमर्श और परामर्श प्रक्रिया में पहले ही काफी समय लग गया है, अत: समिति यह इच्छा व्यक्त करती है कि यह विभाग इस संबंध में प्रक्रिया में तेजी लाए ताकि समय की मांग के अनुसार देश के जल क्षेत्र में मुख्य सुधार लाए जा सकें।** | | हेतु विभाग में प्रक्रियाधीन है। प्रस्ताव को तैयार करने के लिए आवश्यक सूचना सीडब्ल्यूसी और सीजीडब्ल्यूबी से एकत्र की जा रही है। इस कार्य को करने में कोविड महामारी की वजह से कुछ अधिक समय लगेगा। सीईई प्रस्ताव पर मंत्रिमंडलीय टिप्पणी बनाई जाएगी और उसके पश्चात मंत्रिमंडल एनडब्ल्यूसी को सृजित कर सकता है। तथापि, समिति की टिप्पणियां अनुसरण के लिए नोट कर ली गई हैं। |
| 8. | **समिति ने यह पाया कि केन्द्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) एक बहुविषयक वैज्ञानिक संगठन है, जिसे प्रौद्योगिकियों का विकास और प्रचार-प्रसार करने तथा सतत विकास के लिए राष्ट्रीय नीतियों को मॉनीटर तथा कार्यान्वित करने तथा भारत के भूजल संसाधनों के प्रबंधन के साथ-साथ उन के** | 8 | केंद्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) में कुल 4015 कार्मिक है जिनमें से 2748 (वैज्ञानिकी-880 तथा अभियांत्रिकी-1868) तकनीकी तथा 1267 गैर-तकनीकी है। सीजीडब्ल्यूबी में विभिन्न कारणों से लगभग 1261 (31 प्रतिशत) पद रिक्त पड़े है जैसे कि कर्मचारी चयन आयोग तथा यूपीएससी द्वारा स्टाफ की भर्ती की प्रक्रिया |

| क्र.सं. | सिफारिशें | पैरा सं. | कार्यान्वयन की स्थिति |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | **अन्वेषण, मूल्यांकन, संरक्षण, वृद्धि, प्रदूषण से बचाव और आर्थिक तथा परिस्थिति की दक्षता तथा समानता के सिद्धांतों पर आधारित वितरण का अधिदेश दिया गया है। समिति नोट करती है कि सीजीडब्ल्यूबी में कुल 4015 कार्मिक है जिनमें से 2748 (वैज्ञानिक-880 और अभियांत्रिक-1868) तकनीकी हैं तथा 1267 गैर-तकनीकी हैं। सीजीडब्ल्यूबी में विभिन्न कारणों से लगभग 31 प्रतिशत पद रिक्त हैं। समिति का मानना है कि देश में भूजल की संकटपूर्ण स्थिति के मद्देनजर, 31 प्रतिशत की सीमा तक कर्मचारी की कमी बोर्ड के सुचारू कार्यकरण में बाधा उत्पन्न करती है और जहां तक भूजल से संबंधित मामला है, इसमें यह पहले से ही भयावह परिदृश्य को और भयावह बनाता है। अत: समिति आग्रह करती है किसी जीडब्ल्यूबी, संघ लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग के परामर्श से आगे बिना किसी विलंब के विभिन्न रिक्तियों को भरने के लिए तत्काल कदम उठाए, जिस से बोर्ड अपने कार्य को कुशलतापूर्वक और एक परिणामोन्मुखी तरीके से करने में सक्षम हो सके।** | | विभिन्न लंबित मुकदमों तथा भर्ती नियमावली आदि में संशोधन लंबितहोने के कारण भर्ती नहीं किया गया।<br><br>केंद्रीय लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) में वैज्ञानिक अधिकारियों की लगभग 100 रिक्तियां अंतिम चरण पर हैं। जहां पर सीधी भर्ती के लिए साक्षात्कार आयोजित किए जाने हैं और विभागीय प्रोन्नति समिति (डीपीसी) प्रोन्नति हेतु यूपीएससी द्वारा आयोजित की जानी है। तथापि, कोविड- 19 को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन और नियंत्रण की वजह से इस कार्रवाई को रोक दिया गया है। आशा है कि एक बार जब रेल/सड़क/वायु यातायात शुरू हो जाता है तो यूपीएससी साक्षात्कार और डीपीसी बैठकें आयोजित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। इसी तरह विभिन्न क्षेत्रीय कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) द्वारा चुने गए लगभग 225 उम्मीदवारों के डोजियर सामान्य सेवा होने तक प्राप्त होने के लिए लंबित हैं।<br><br>सदस्य स्तर (पे लेवल-14) में पर 6 पदों में से 2 पद खाली हैं और इन रिक्तियों को भरने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। क्षेत्रीय निदेशक स्तर (पे लेवल- 13) में वैज्ञानिक संवर्ग के 18 पदों में से 11 पद माननीय न्यायालय में मामले के लंबित होने की वजह से रिक्त पड़े हुए हैं।<br><br>सीजीडब्ल्यूबी में रिक्तियों को भरने के मुद्दे को अत्यधिक महत्व देते हुए जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग नियमित आधार पर बैठक आयोजित कर रहा है।<br><br>हाल की पहल नीचे दी गई है |

| क्र.सं. | सिफारिशें | पैरा सं. | कार्यान्वयन की स्थिति |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | | | वैज्ञानिक अनुभाग- 1. असिस्टेंट हाइड्रोलॉजिस्ट से साइंटिस्ट B (हाइड्रोलॉजिस्ट) की 50 प्रमोशन रिक्तियों के लिए संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी (DPC) की कार्यवाही पहले ही आयोजित की जा चुकी है।<br><br>2. असिस्टेंट हाइड्रोलॉजिस्ट के पद पर 50 रिक्तियों के लिए सीधी भर्ती - उम्मीदवारों के संबंध में आवेदनों की जांच, जिन्होंने कंप्यूटर आधारित टेस्ट को सफलतापूर्वक मंजूरी दे दी है, यूपीएससी द्वारा प्रगति पर है। यूपीएससी द्वारा उम्मीदवारों के साक्षात्कार, तत्काल भविष्य में निर्धारित किए जाने की संभावना है<br><br>इंजीनियरिंग अनुभाग - 1. CGWB में विभिन्न इंजीनियरिंग पदों के लिए, कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) के क्षेत्रीय कार्यालयों से चयनित उम्मीदवारों के डोजियर, कुल संख्या-163 प्राप्त हुई। उम्मीदवार प्रलेखन आदि के बाद सीजीडब्ल्यूबी के कार्यालयों में प्रवेश करेंगे।<br><br>2. सीजीडब्ल्यूबी में विभिन्न इंजीनियरिंग पदों के लिए चयनित उम्मीदवारों के डोजियर एसएससी क्षेत्रीय कार्यालयों से प्रतीक्षित है - कुल संख्या 107<br><br>सचिव (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग) ने बोर्ड में कर्मचारियों की स्थिति की समीक्षा की और कौशल आवश्यकताओं के अनुसार पदों की पूर्ण रूप से समीक्षा करने की सलाह दी। |

| क्र.सं. | सिफारिशें | पैरा सं. | कार्यान्वयन की स्थिति |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 9. | **समिति नोट करती है कि जल संसाधन सूचना प्रणाली विकास (सीडब्ल्यूआरआईएस) 12वीं पंचवर्षीय योजना से चल रही केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है। इसका उद्देश्य 'डेटाबैंकों' और 'डेटाबेसों' के नेटवर्क के साथ राष्ट्रीय जल सूचना प्रणाली को मानकीकृत करना, जलविज्ञानी अवलोकन केन्द्रों के पूरे देश में मौजूद नेटवर्क के माध्यम से डेटा गुणवत्ता और प्रोसेसिंग क्षमताओं में सुधार करना है। इसके अतिरिक्त, यह बाढ़ प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण गैर-संरचनात्मक उपायों के रूप में पूर्व-बाढ़ चेतावनी प्रणाली का कार्य करता है। इसके अलावा, इस योजना के अंतर्गत प्रमुख और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की पाइलट संगणना की भी परिकल्पना की गई है। यह दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक तरीके से तटीय कटाव को रोकने के लिए एक एकीकृत डेटा बैंक सृजित करने हेतु भी प्रयासरत है।**<br><br>**उपर्युक्त उल्लिखित प्राकथनों के बावजूद, समिति यह जानकर आश्चर्यचकित है किसी सीडब्ल्यूसी देश के 123 प्रमुख जलाशयों की साप्ताहिक आधार पर सक्रिय भंडारण स्थिति की निगरानी करता है, जो देश में सृजित की गई सक्रिय भंडारण क्षमता का केवल 66.36 प्रतिशत है। यद्यपि, सीडब्ल्यूसी ने मौजूदा 878 केन्द्रों से बढ़ाकर देश भर में 1598 केन्द्रों तक जलविज्ञानीय प्रेक्षण नेटवर्क का विस्तार किया है, हाइड्रोलॉजिकल प्रेक्षण केन्द्रों को चलाने और रख-रखाव के लिए जलविज्ञानीय प्रेक्षण (एचओ) स्थलों पर पर्याप्त जनशक्ति की कमी एक प्रमुख** | 9 | अर्धकुशल और अकुशल स्तरों पर आवश्यकताओं को आउटसोर्सिंग द्वारा पूरा किया जा रहा है। जहां तक कुशल पर्यवेक्षी स्तर का संबंध है, हाइड्रोलॉजिकल और ऑब्जरवेशन स्थलों को चलाने और उनके रखरखाव के लिए तथा जलसंसाधन सूचना प्रणाली के अंतर्गत जल गुणवत्ता प्रयोगशालाओं के लिए कनिष्ठ अभियंता स्तर के 261 पदों के सृजन का प्रस्ताव विचाराधीन है।<br><br>सीडब्ल्यूसी देशभर के महत्वपूर्ण जलाशयों के सक्रिय भंडारण की मॉनीटरिंग कर रहा है और 1981 से प्रत्येक बृहस्पतिवार साप्ताहिक बुलेटिन जारी कर रहा है। देशभर में स्टोरेज की बेहतर कवरेज के लिए मॉनीटर किए जा रहे जलाशयों की संख्या में आवधिक रूप से वृद्धि की जा रही है। तथापि, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, जल एक राज्य विषय है और जलाशयों का अधिकांश स्वामित्व राज्य सरकारों का है। किसी जलाशय की सीडब्ल्यूसी मॉनीटरिंग के तहत शामिल करने के लिए, राज्य सरकारों/ परियोजना प्राधिकारियों से साप्ताहिक/दैनिक आधार पर नियमित रूप से डाटा प्राप्त करने के लिए व्यवस्था करने के अलावा विश्लेषण करने हेतु पिछले दस वर्षों का ऐतिहासिक डाटा अपेक्षित है। इसलिए, किसी जलाशय को सीडब्ल्यूसी मॉनीटरिंग प्रणाली में शामिल करने के लिए परियोजना प्राधिकरणों/ राज्य सरकार की मंजूरी अपेक्षित है। सामान्य रूप से 100 मि. क्यू. मी. (एमसीएम) से अधिक की सक्रिय स्टोरेज क्षमता वाले जलाशयों को सीडब्ल्यूसी मॉनीटरिंग प्रणाली में शामिल किया जाता है। तथापि, परियोजना प्राधिकरणों/ राज्य सरकारों की सहमति के अनुसार कम क्षमता वाले कुछ जलाशयों को भी शामिल किया गया है विशेषकर सूखा प्रवण क्षेत्रों में।<br><br>सीडब्ल्यूसी द्वारा सक्रिय स्टोरेज क्षमता की मॉनीटरिंग में विस्तार के संबंध में समिति की |

| क्र.सं. | सिफारिशें | पैरा सं. | कार्यान्वयन की स्थिति |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | **बाधा है। इसके अतिरिक्त, नियमित स्टाफ की कमी के कारण पर्यवेक्षी और एचओ कार्यों के लिए दक्ष कार्य सहायक को आउट सोर्सिंग किया जा रहा है। समिति यह महसूस करती है कि एचओ को अपने कार्यों को सुचारू रूप से करने के लिए पर्याप्त जनशक्ति से सज्जित होने की आवश्यकता है। अतः, समिति यह पुरजोर सिफारिश करती है कि इस विभाग को दक्ष जनशक्ति की भर्ती द्वारा रिक्तियों को भरने हेतु तत्काल और प्रभावी उपाय करना चाहिए। समिति आगे यह इच्छा व्यक्त करती है किसी डब्ल्यूसी को एक निश्चित समय सीमा के भीतर देश में सृजित सक्रिय भंडारण क्षमता को 100 प्रतिशत कवर करने के लिए अपने निगरानी आधार का विस्तृत करना चाहिए।** | | सिफारिश नोट कर ली गई है। सीडब्ल्यूसी मॉनीटरिंग प्रणाली के अंतर्गत अधिक से अधिक परियोजनाओं को शामिल करने के लिए और उनकी कवरेज बढ़ाने के लिए परियोजना प्राधिकरणों/ राज्य सरकारों से डाटा/ सहमति प्राप्त करने हेतु नियमित प्रयास किए जा रहे हैं।<br><br>एचओ साइटों को मैन करने के लिए रिक्तियों को भरने के बारे में, यह सूचित किया जाता है कि इस मामले को वित्त मंत्रालय और डीओपीटी आदि के साथ उठाया गया था क्योंकि इसमें कई मुद्दे शामिल हैं जैसे कि पदों का पुनरुद्धार, भर्ती नियमों का निर्धारण आदि। उन विभागों द्वारा अतिरिक्त जानकारी मांगी गई है। जब तक ऐसा किया जाता है, आउटसोर्सिंग के माध्यम से जनशक्ति को संलग्न करने के लिए भी कार्रवाई की जाती है ताकि उन लोगों पर काम प्रभावित न हो |
| 10. | **समिति ने यह पाया कि भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एन ए पी सी सी) के तहत अपने आठ राष्ट्रीय मिशनों में से एक राष्ट्रीय जल मिशन (एन डब्ल्यू एम) की स्थापना की है। राष्ट्रीय जल मिशन का मुख्य उद्देश्य जल का संरक्षण करना, एकीकृत जलसंसाधन विकास और प्रबंधन के माध्यम से राज्यों के भीतर और उन के बीच जल का बर्बादी कम करना और इस के बराबर बंटवारे को सुनिश्चित करना है। तथापि, यह बेहद निराशाजनक है कि यद्यपि एन डब्ल्यू एम का गठन मिशन मोड पर लक्ष्यों का कार्यान्वयन करने के लिए एक मिशन के रूप में किया गया था, यह अभी भी मंत्रालय के भाग के रूप में कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त, प्रशासनिक** | 10 | अनुमोदित स्कीम में राष्ट्रीय जल मिशन के जलसंसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग से स्वतंत्र रूप से कार्यप्रणाली की परिकल्पना नहीं की गई है। कार्मिकों की आवश्यकता को अनुमोदित रिक्त पदों पर नियमित अधिकारियों की तैनीती के अलावा कंसलटेंट और युवा प्रोफेशनल को हायर कर के पूरा किया जा रहा है। अनुमोदित स्कीम के तहत व्यय और घटकों की रफ्तार पर निर्भर करते हुए स्कीम के तहत किए गए आवंटनों में वृद्धि की जाएगी। |

| क्र.सं. | सिफारिशें | पैरा सं. | कार्यान्वयन की स्थिति |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | और वित्तीय शक्तियों की सीमा, नियमित अधिकारियों/ कर्मचारियों की कमी, बजट में कमी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में प्रमुख बाधाएं हैं। समिति का यह विचार है कि इसकी पूरी क्षमता का दोहन करने और इस के कथित अधिदेश के अनुसार कार्य करने के लिए, राष्ट्रीय जल मिशन को मंत्रालय से अलग किए जाने की आवश्यकता है। अतः समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि इस विभाग को इस संबंध में आवश्यक उपाय करने चाहिए। समिति आगे यह सिफारिश करती है कि इस विभाग की निधियों की वृद्धि के लिए और उपरोक्त मुद्दों का व्यवहारिक तरीके से समाधान करने के लिए मिशन में नियमित अधिकारियों/ कर्मचारियों की तैनाती के लिए उपाय करने चाहिए। | | |
| 11. | समिति यह पाती है कि वर्ष 2016-17 के दौरान, 99 चालू त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए आ ई बी पी) उन के सी ए डी डब्ल्यू एम कार्यों के साथ बड़ी/ मध्यम परियोजनाओं, जिनकी क्षमता 76.03 लाख हेक्टेयर तथा अनुमानित लागत 77,595 करोड़ रुपए है, की राज्यों के परामर्श के साथ दिसम्बर, 2019 तक चरणों में पूरा करने के लिए चिन्हित की गई हैं। तथापि, समिति यह पाती है कि 99 प्राथमिकी कृत परियोजनाओं और 7 चरणों में से (कुल 106 परियोजनाएं), केवल 40 परियोजनाओं का ए आई बी पी कार्य पूरा किया गया है। बाकी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए, मार्च, 2023 तक की समय सीमा तय की गई है। समिति इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति से संतुष्ट नहीं है, विशेष रूप से इस तथ्य के मद्देनजर कि नाबार्ड में सृजित दीर्घ कालिक सिंचाई निधि | 11 | पी एम के एस वाई - ए आई बी पी के अंतर्गत शामिल किए जाने के बाद, प्राथमिकता प्राप्त 44 परियोजनाएं 2016-17 से पूरी की जा चुकी हैं। इन 99 प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाओं की 76.03 लाख हेक्टेयर की अधिकतम सिंचाई क्षमता (यू आई पी) में से मार्च, 2016 तक 41.39 लाख हेक्टेयर की क्षमता सृजित की गई थी और सृजित की जाने वाली शेष क्षमता 34.64 लाख हेक्टेयर थी। 34.64 लाख हेक्टेयर की इस शेष क्षमता की तुलना में 2016-20 के दौरान 99 प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाओं के माध्यम से 21.33 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता सृजित की गई है।<br>परियोजनाओं की मॉनीटरिंग और पूरा करने में तेजी लाने के लिए पी एम के एस वाई - ए आई बी पी के अंतर्गत निम्नलिखित पहलें की गई हैं :<br>• प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाओं की समग्र और घटक-वार वास्तविक और वित्तीय प्रगति की मॉनीटरिंग के लिए |

| क्र.सं. | सिफारिशें | पैरा सं. | कार्यान्वयन की स्थिति |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | **(एल टी आई एफ) के माध्यम से इन परियोजनाओं के लिए निधियां उपलब्ध हैं। समिति को इस बात की आशंका है कि इस गति से यह बढ़ाई गई समय-सीमा में भी कार्यान्वित नहीं हो पाएगी। अत: समिति यह सिफारिश करती है कि बढ़ाई गई अंतिम तिथि के भीतर इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए विभाग द्वारा सम्मिलित रूप से प्रयास करना चाहिए क्योंकि इन परियोजनाओं को एल टी आई एफ के माध्यम से वित्त पोषण के कारण इन पर ऋण देनदारियां बनती है।** | | एक ऑनलाइन एम आई एस पोर्टल विकसित किया गया है।<br>• परियोजनाओं की वास्तविक और वित्तीय प्रगति की मॉनीटरिंग केन्द्रीय जल आयोग की फील्ड इकाइयों के माध्यम से की जाती है। प्रत्येक 99 प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाओं के लिए एक नोडल अधिकारी की पहचान की गई है जो परियोजना की वास्तविक और वित्तीय प्रगति को इस प्रयोजन के लिए विकसित एम आई एस में नियमित रूप से अपडेट करने के लिए उत्तरदायी है।<br>• 99 प्राथमकिता प्राप्त परियोजनाओं की कमान में फसल क्षेत्र अनुमान रिमोट सेंसिंग के माध्यम से वार्षिक रूप से किया जा रहा है।<br>• दक्षता में वृद्धि करने के लिए, जहां व्यवहार्य हो, दबाव पाइप सिंचाई और माइक्रो सिंचाई अपनाई जा रही है। ओड़िशा और महाराष्ट्र में, भूमिगत पाइप द्वारा वितरण अपनाते हुए वितरण प्रणाली में क्रमशः 6200 हे. और 4920 हे. के भूमि अधिग्रहण से बचा गया है।<br>प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाओं की वास्तविक प्रगति की व्यापक समीक्षा समय-समय पर माननीय मंत्री, जल शक्ति और सचिव (ज.सं., न.वि. और गं.सं.) द्वारा की जा रही है। इस मामले को सचिव (ज.सं., न.वि. और गं.सं.) स्तर पर सभी संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ उठाया गया है जिसमें अनुरोध किया गया है कि अधिकाधिक चालू पी एम के एस वाई - ए आई बी पी परियोजनाओं को यथासंभव 31.03.2021 तक पूरा करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया जाए। विभिन्न परियोजनाओं में रेलवे/ हाइवे/ गैस पाइपलाइन से संबंधित विभिन्न मुद्दों का समाधान करने के लिए मामले को इन मुद्दों के समाधान में |

| क्र.सं. | सिफारिशें | पैरा सं. | कार्यान्वयन की स्थिति |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | | | सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिए अध्यक्ष रेलवे/ भारतीय राष्ट्रीय हाइवे प्राधिकरण/ गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ उठाया गया है। इस प्रकार सघन प्रयास किए जा रहे हैं ताकि परियोजनाएं संशोधित समय-सीमा में पूरी की जा सकें। |
| 12. | **समिति नोट करती है कि बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफ एम पी) और नदी प्रबंधन गतिविधियों एवं सीमा क्षेत्र से संबंधित कार्यों की 12वीं कार्य योजनाको 3342 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक की अवधि के लिए "बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम" (एफ एम बी ए पी) में विलय किया गया है। एफ एम बी ए पी के तहत 83 चालू परियोजनाएं हैं। इन 83 परियोजनाओं में से,14 परियोजनाओं को पूरा कर लिया गया है और शेष परियोजनाओं को मार्च, 2021 के अंतत क पूरा किया जाना अपेक्षित है। समिति इस तथ्य का संज्ञान लेती है कि परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण, मुकदमे बाजी, राज्य के हिस्सों की राशि जारी नहीं करना तथा अपर्याप्त बजट आवंटन जैसी प्रमुख बाधाएं हैं जिसके कारण परियोजनाओं को समय पर पूरा नहीं किया जा सका। इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने की आवश्यकता के मद्देनजर, समिति इस विभाग से यह सिफारिश करती है कि वह राज्य सरकारों/ परियोजना प्राधिकारियों के साथ चर्चा करें और उन निहित कारकों का समाधान करें जिसके परिणाम स्वरूप परियोजना निश्चित समय-सीमा के भीतर पूरी नहीं की जा सकी।** | 12 | बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यों की प्रगति की, केन्द्रीय जल आयोग, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग और ब्रह्म पुत्र बोर्ड द्वारा उनके कार्यक्षेत्र में मॉनीटरिंग की जाती है और ये अभिकरण परियोजनाओं के समय से पूरा करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों से निकट रूप से समन्वय रखती हैं। राज्य सरकारों, मॉनीटरिंग अभिकरणों और जं. सं., न. वि. गं. सं. विभाग को शामिल करते हुए समीक्षा बैठकें एफ एम पी परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने में तेजी लाने के लिए नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं।<br><br>तथापि, एफ एम पी परियोजनाओं की तात्कालिक प्रकृति को देखते हुए समिति की सिफारिश नोट कर ली गई है और चल रहे कुल 44 एफ एम पी परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए सुझाव दिए गए अनुसार सभी पणधारियों के साथ समीक्षा बैठकें आयोजित की जाएंगी। |
| 13. | **समिति पाती है कि जिन नदियों का नेपाल से उद्दगम है उनके द्वारा बिहार और उत्तर** | 13 | दोंनो देशों के द्वारा अधिकारियों/विशेषज्ञों की एक संयुक्त दल को गठित किया गया है ताकि |

| क्र.सं. | सिफारिशें | पैरा सं. | कार्यान्वयन की स्थिति |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | **प्रदेश राज्यों में बाढ़ों का प्रबंधन करना एक चिंता का विषय रहा है। इस संबंध में, भारत सरकार, नेपाल सरकार के साथ दो देशों के आपसी लाभ के लिए जिसमें बाढ़ नियंत्रण शामिल है, इन नदियों पर बांध के निर्माण हेतु नियमित बातचीत कर रही है। इस संबंध में त्रि-स्तरीय कार्यतंत्र की स्थापना पर भी चर्चा की गई है। समिति नोट करती है यद्यपि पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना की अंतिम प्रारूप डी पी आर मे सर्स वाप्कोस लिमिटेड के द्वारा तैयार किया गया है, इस परियोजना के कार्यान्वयन और पूरा होने के संबंध में कोई विशिष्ट उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है। समिति पंचेश्वर परियोजना के पूरा होने की समय-सीमा तथा परियोजना के कार्यात्मक विलंब के कारणों के बारे में जानना चाहेगी। समिति का यह विचार है कि मंत्रालय को इन परियोजनाओं के पूरा होने में एक अग्रस क्रिय भूमिका निभानी चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूप नेपाल से उद्दगम होने वाली नदियों के द्वारा बिहार और उत्तर प्रदेश के डाउनस्ट्रीम राज्यों में बाढ़ के खतरों से निपटने में मदद मिलेगी।** | | महाकाली संधि की व्याख्या, महाकाली जल की साझेदेरी तथा डीपीआर को अंतिम रुप देने के क्रम में परियोजना के लाभों के मूल्यांकन के संबंध में नेपाल द्वारा उठाये गए मसलों सहित डीपीआर पर विचार-विमर्श तथा अभियुक्तियों का समाधान किया जा सके। अधिकारियों/विशेषज्ञों की संयुक्त टीम की पहली बैठक काठमाण्डू में 21-23 अगस्त 2017 को हुई थी और दूसरी बैठक नई दिल्ली में 5-6 सितम्बर 2017 में और अधिकारियों/विशेषज्ञों की संयुक्त टीम की तीसरी बैठक काठमाण्डू में 27-28 फरवरी, 2019 को हुई थी।<br><br>अधिकारियों तथा विशेषज्ञों के बैठक के दौरान अधिकांश तकनिकि मसलों पर विचार-विमर्श किया गया और दोनों पक्षों को संतुष्ट करते हुए उनका समाधन किया गया। तथापि महाकाली संधि के कतिपय खंडों की व्याख्या से जुड़े कुछ मूलभूत मसलों का अभी भी भारत तथा नेपाल दोनों देश की सरकारें विदेश कार्य मंत्रालय के मार्ग-निर्देशों के अंतर्गत भारत-नेपाल पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना को अंतिम रुप देने के लिए उच्चतम स्तर पर विचार-विमर्श कर रहें हैं। |
| 14. | **समिति पाती है कि फरक्का बैराज परियोजना का मुख्य उद्देश्य भागीरथी-हुगली जल मार्ग प्रणाली की स्थिति और नौवहनीय क्षमता बढ़ाने में सुधार द्वारा कोलकाता पोर्ट के संरक्षण और रख-रखाव के लिए फीडर कैनाल के माध्यम से भागीरथी-हुगली जल मार्ग को गंगानदी के पानी की पर्याप्त मात्रा को पहुंचाना है। समिति यह पाती है कि एफ बी पी के तहत निधियों का निरंतर न्यून उपयोग हुआ है, अर्थात वर्ष 2014-15 में 205.04 करोड़** | 14 | फरक्का बैराज परियोजना की मौजूदा आवश्यकताओं/अपेक्षाओं के अनुसार उसके सहज कार्यकलापों के लिए मानव शक्ति की अपेक्षाओं/उसे इष्टतम बनाने के मूल्यांकन के संबंध में एक विस्तृत स्टाफ इंस्पेक्शन यूनिट (एस आई यू) अध्ययन किया गया है। इस एस आई यू की रिपोर्ट वित मंत्रालय को भेजे जानी की प्रक्रिया में हैं।<br>फरक्का बैराज परियोजना के लिए वित वर्ष 2014-15 हेतू बजट आकलन के अनुसार बी ई (205.04 करोड़ रूपए), आर ई (146.71 करोड़ |

| क्र.सं. | सिफारिशें | पैरा सं. | कार्यान्वयन की स्थिति |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | **रुपए के बजट आकलन की तुलना में वास्तविक व्यय 138.27 करोड़ रुपए रहा है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2018-19 में 209.25 करोड़ रु. बजट अनुमान की तुलना में वास्तविक रूप से 114.25 करोड़ रूपए खर्च हुआ। समिति नोट करती है कि गेट को बदलने के कार्य में व्यय में कमीका मुख्य कारण प्रतिबंधित कार्यक्षेत्र और गेट के बदलने के लिए खराब अभिगम्यता तथा साइट के समीप एक व्यस्त रेल-सह-सड़क पुल के कारण जल-यांत्रिकी अवयव जैसे विभिन्न बाधाएं हैं। इसके अलावा, समिति यह जानकर आश्चर्य चकित है कि 824 की संस्वीकृत क्षमता की तुलना में फरक्का बैराज परियोजना में केवल 149 नियमित कर्मचारी कार्य कर रहे हैं जो कि संस्वीकृत क्षमता का 18 प्रतिशत है। एफ बी पी के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए मानव शक्ति की इतनी कमी ठीक नहीं है और इससे एफ बी पी के अनुरक्षण और रख-रखाव की दिशा में इस विभाग के उदासीन रवैये का पता चलता है। समिति कई सालों से प्रौद्योगि की उन्नितयों, जिससे विभिन्न कार्यकलापों/ प्रक्रियाओं में सुविधा हुई है, को ध्यान में रखते हुए विभाग द्वारा मानवशक्ति की आवश्यकताओं की समीक्षा के बारे में अवगत होना चाहेगी। समिति विभाग से यह भी सिफारिश करती है कि वह रिक्तियां भरने के लिए तत्काल उपाय करे क्योंकि यह फरक्का बराज परियोजना को यथाशीघ्र सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है। समिति ऐसे उपायों के ब्यौरे के बारे में जानना चाहती है। इसके अतिरिक्त, समिति एफ बी पी के तहत निधियों के निरंतर न्यून उपयोग संबंधी विशिष्ट कारणों के बारे में अवगत होना चाहेगी। समिति इस विभाग को बजटीय** | | रूपए), तथा ए ई (138.27करोड़ रूपए) था जो कि आर ई 2014-15 के 94 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त, वित वर्ष 2018-19 के लिए बी ई (209.25 करोड़ रूपए), आर ई (123.47करोड़ रूपए) आबंटित किया गया था जिसके समक्ष ए ई (114.25 करोड़ रूपए) था जो कि आर ई 2018-19 का 93 प्रतेशत है।<br>बजट आकलन स्तर पर धनराशि की आवश्यकता वर्ष के दौरान लगाये गये आकलन तथा कार्य की प्रगति(मरम्मत तथा अनुरक्षण, गेट आदि लगाये जाने) के अनुसार का आकलन किया जाता है। इन सभी वर्षों के दौरान आरई स्तर पर धनराशि की उपयोगिता जो दुरुस्थ किये गये मूल्यांकन पर आधारित होती है, 90 प्रतिशत से अधिक थी। फरक्का बैराज परियोजना निम्न कारणों के कारण आबंटित धनराशि का उपयोग नहीं कर पायी।<br>(क) पिछले पाँच वर्षों के दौरान बड़ी संख्या में सेवानिवृति के कारण कर्मचारियों की संख्या उनकी अनुमोदित संख्या से 15 प्रतिशत कम होना (तकनिकी तथा प्रशासनिक दोनों) जिसके कारण वेतन भुगतान में बचत हुई।<br>(ख) तकनिकी कर्मचारियों के पद रिक्त होने के कारण, प्रस्तावित कार्य समय से आरंभ नहीं किये जा सके जिसके कारण धन राशि का कम उपयोग रहा।<br>(ग) विभिन्न कारणों जैसे भिलाई स्टील संयंत्र से स्टील तथा सामग्री की आपूर्ती में विलंब होना जिसके कारण हाईड्रोलिक गेट फाइब्रिकेशन तथा इरेक्शन कार्यों की प्रगति प्रभावित हुई जिससे नियोजित धन राशि का कम उपयोग रहा। |

| क्र.सं. | सिफारिशें | पैरा सं. | कार्यान्वयन की स्थिति |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | आवंटनों के उपयोग में सुधार लाने के लिए बजटीय आकलनों के लिए अपनी प्रक्रिया में आवश्यक परिवर्तन करने की भी सिफारिश करती है। | | |